आवास भारती

वर्ष 18 | अंक 67 | अप्रैल-जून, 2018

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

2016 - 2017

प्रमाणपत्र

हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में आयोजित

हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता

में **तृतीय स्थान** प्राप्त करने के उपलक्ष्य में

राष्ट्रीय आवास बैंक

को प्रदत्त

CERTIFICATE

Awarded to

NATIONAL HOUSING BANK

for ranking THIRD in the

HINDI HOUSE JOURNAL COMPETITION

for the progressive use of Hindi

वि. नि. अधिकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
मुंबई / MUMBAI

उप गवर्नर
DEPUTY GOVERNOR

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

मुझे आवास भारती का 67वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की तीन प्रमुख जरूरतों यथा रोटी, कपड़ा और मकान में से रोटी और कपड़ा अभी भी आम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन मकान के दाम विशेषतौर पर बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं वो आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश में आवास की खरीद को लेकर एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है। लोगों को फिर से लगने लगा है कि उनके अपने घर का सपना अवश्य पूरा होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ''प्रधानमंत्री आवास योजना–ऋण आधारित सब्सिडी योजना'' के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि हम लोगों के सपनों को साकार करने में अपनी ओर से प्रयास कर पा रहे हैं। स्थापना के समय से ही हमारे बैंक का उद्देश्य जनता के सभी वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ आवास वित्त प्रणाली स्थापित करना है। इस दिशा में हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है और अभी भी निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को सुचारू तरीके से लागू करने एवं लोगों को इसका बेहतर लाभ प्राप्त हो इस हेतु हम समय–समय पर विभिन्न आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन करते रहते हैं।

आज हमें आवास निर्माण के साथ–साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। अतः हमें आवास निर्माण के उन तकनीकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हों। इस क्रम में, अपने घरों के निर्माण हेतु परंपरागत प्रणाली की जगह पर्यावरण अनुकूल प्रणालियों को अपनाने की जरूरत है। इस दिशा में ऊर्जादक्ष आवास की तरफ विकास का कदम बढ़ा रहे है तथा धीरे–धीरे लोगों का रूझान भी ऐसे मकानों की खरीद की ओर बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन एवं इसके प्रभावी अनुपालन के लिए कटिबद्ध रहा है। हम बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं और हिंदी को सरलतापूर्वक प्रयोग में लाने को प्रयासरत हैं। बैंक में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए उचित और प्रभावी उपाय किए जाते रहे हैं। बैंक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रलेखों को द्विभाषी जारी करने, बैंक के प्रकाशनों एवं रिपोर्टों को द्विभाषी प्रकाशित करने आदि से संबंधित प्रावधानों का पालन कर रहा है। बैंक द्वारा अगली तिमाही में हिंदी मास–2018 मनाया जाएगा।

मुझे उम्मीद है कि 'आवास भारती' का नवीनतम अंक आपको पसंद आयेगा। आपकी प्रतिक्रिया एवं बहुमूल्य सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

आप की पाती

महोदय,

आपके कार्यालय का पत्र सं.राआबै/ईपीडी. राजभा/आवास/66/5189/2018, दिनांक 18 मई, 2018 के अंतर्गत ''आवास भारती'' नामक पत्रिका का 66 अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका के कवर पृष्ठ अत्यधिक आकर्षक है। झलक और सदस्य कार्यालयों के लोगों का प्रदर्शन विशेष रूप से आकर्षक है। इस पत्रिका के लेख उत्कृष्ट एवं समयोपयोगी है। कार्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित कार्यक्रम से संबंधित झलकियों का पत्रिका में बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। ''आवास भारती'' नामक पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन और प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पत्रिका में काफी रोचक जानकारी दी गई है। आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार से आगामी अंकों का सफलतापूर्वक प्रकाशन करते रहेंगे। इस प्रयास के लिए सराहना करता हूं और सफलता के लिए संपादक एवं संपादक मंडल तथा लेखकों को हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

ह/–
(नरेन्द्र सिंह मेहरा)
सहायक निदेशक (कार्यान्वयन),
उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय,
नई दिल्ली–110023

महोदय,

हम आपके पत्र संख्या सं. राआबै/ईपीडी.राजभा/आवास भारती/66/5183/2018 दिनांकित 18.05.2018 की प्राप्ति सूचना देते हैं। इसके साथ ही हमें बैंक की गृह पत्रिका भी प्राप्त हो गई है। पत्रिका में प्रकाशित लेख ज्ञानप्रद एवं चित्ताकर्षक हैं। यह अच्छी बात है कि इसमें बैंक के लोगों के साथ–साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी योगदान है। इस अंक के लिए धन्यवाद तथा आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएं।

भवदीय,

ह/–
(प्रियांशु तिवारी)
मुख्य प्रबंधक,
भारतीय निर्यात–आयात बैंक,
नई दिल्ली–110001

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका ''आवास भारती'' के जनवरी–मार्च 2018 के 66वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका के इस अंक में भी पूर्व अंकों की भांति आवास, आवास वित्त एनएचबी रेजीडेक्स, वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी से बचाव आदि विषयों के साथ–साथ अपने स्थाई स्तंभ के तहत योग जैसे उपयोगी विषय काफी ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित है। अन्य सम–सामयिक विषयों से जुड़े लेख एवं कविताएं भी अच्छी है। महिला दिवस समारोह की झलकियां सराहनीय है। पत्रिका निरंतर प्रगति के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

ह/–
(विजय पाटनी)
सहायक प्रबंधक (हिंदी),
दि हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स–
एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका ''आवास भारती'' के 66वें अंक जनवरी–मार्च, 2018 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका का मुख पृष्ठ अति सुंदर तथा मनमोहक होने के साथ–साथ संकलित सामग्री रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक है। हमेशा की भांति विभागीय जानकारी के संदेशों से परिपूर्ण इस पत्रिका में रोचक व ज्ञानवर्धक लेखों के साथ–साथ कार्यालय में समय–समय पर होने वाली गतिविधियों का भी सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। 'ओएनजीसी का इतिहास'' तथा अनुशासनात्मक मामलों को कैसे निपटाएं एवं आवास ऋण में धोखाधड़ी से बचाव'' आदि सभी लेखों ने पत्रिका को संग्रहणीय स्वरूप प्रदान किया है। पत्रिका का नियमित प्रकाशन आपकी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के प्रति विशेष रूचि का परिचायक है। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई, आशा है भविष्य में भी हमें ''आवास भारती'' के अंक नियमित रूप से प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय,

ह/–
(विनोद कुमार)
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
ओरिएण्टल इंश्योरेंस, नई दिल्ली

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
2.	एनएचबी रेजीडेक्स – रिहायशी आवास मूल्य सूचकांक	6
3.	निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना	14
4.	महानगरीय समस्या – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	16
5.	जीएसटी क्या है?	19
6.	गरीबों को आवास उपलब्ध कराना देश की प्राथमिकता	21
7.	पीपीएफ बचत का एक पारंपरिक तरीका	23
8.	जब करना हो अन्य राज्य में सम्पत्ति का सौदा	26
9.	देश में आवास समस्या समाधान के उपाय	28
10.	अंधकार से जूझना है	29
11.	अपकमिंग लोकेशन्स	30
12.	किसना	32
13.	ई-बैंकिंग	35
14.	तकनीकी और भाषा	38
15.	झारखंड के दो अद्‌भुत मंदिर	39
16.	मां तुझे सलाम	41
17.	सतत विकास लक्ष्य	45
18.	काव्य सुधा	47

कुल तकनीकी लेख	– 09
कुल सामान्य लेख	– 06
कुल योग	– 15

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138

वर्ष 18, अंक 67, अप्रैल–जून, 2018

संरक्षक
डॉ. अश्वनी कुमार त्रिपाठी
कार्यपालक निदेशक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
नितिन अग्रवाल
उप प्रबंधक

संपादक मंडल
रीटा भट्टाचार्य, उप महाप्रबंधक
राधिका मूना, प्रबंधक
परिचय, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, प्रबंधक
सचिन शर्मा, प्रबंधक
मेनका राणा, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

आवास वित्त में अभिमुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 29 एवं 30 मई, 2018 को इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आवास वित्त में अभिमुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 29 मई, 2018 को प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं स्वागत किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक श्री श्रीराम कल्याणरामन ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने उद्घाटन भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की। तत्पश्चात्

कार्यक्रम के प्रथम सत्र की शुरूआत हुई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंध श्री पीयूष पाण्डेय ने भारत में आवास वित्त, पुनर्वित्त एवं इसमें राष्ट्रीय आवास की क्या भूमिका रही है इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का दूसरा सत्र एचडीएफसी बैंक के महाप्रबंधक श्री संजय जोशी ने लिया जिसमें उन्होंने आवास वित्त प्रक्रिया पर प्रतिभागियों का ज्ञान वर्धन किया। उन्होंने सत्र के दौरान आवास वित्त के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जैसे कि आवास वित्त के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या हैं। औपचारिक आवास वित्त के क्या फायदे हैं एवं देश में किफायती आवास की चर्चा तो बहुत हो रही है लेकिन इसको साकार रूप देने में किन प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जाता है और कैसे इन चुनौतियां का सामना कर हम किफायती आवास की संकल्पना को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। भोजनावकाश के पश्चात कार्यक्रम के तीसरे सत्र का प्रारंभ हुआ। इस सत्र का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री मोहर सिंह ने किया। इस सत्र में उन्होंने आवास ऋण एवं ऋण मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आवास ऋण हेतु आवेदन किया जाए और किसी प्रकार से ऋण राशि और चुकौती क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार ऋण संवितरण से पूर्व संपत्ति की जांच भी करनी चाहिए। कार्यक्रम के चौथे सत्र का संचालन भी श्री मोहर सिंह ने ही किया। इस सत्र में उन्होंने आवास ऋण के तकनीकी मूल्यांकन पर प्रकाश डाला। जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न प्रकार के निर्माण, निर्माण की प्रगति के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन और किस प्रकार से प्रत्येक किस्त हेतु ऋण राशि के संवितरण का आकलन किया जाए, इन सभी बातों पर विस्तार से प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। पांचवें सत्र का संचालन बैंक के विधि परामर्शदाता श्री पवन कुमार गुप्ता ने किया। इस सत्र के दौरान इन्होंने आवास ऋण के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि आवास ऋण हेतु उपयोगी दस्तावेज कौन–कौन से होते हैं। स्वत्व एवं अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए और यह क्यों जरूरी है। आवास ऋण हेतु कानूनी दस्तावेज कौन–कौन से होते हैं एवं विधिक मूल्यांकन रिपोर्ट कैसे तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्गित अनुभव को भी साझा किया।

अगले दिन अर्थात 30 मई, 2018 को प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे सत्र की शरूआत हुई। इस सत्र का संचालन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आदित्य शर्मा ने किया। इन्होंने विनियमन एवं पर्यवेक्षण के बारे में विस्तार से बताया जिसके अंतर्गत केवाईसी, एनडीएमए और वसूली एजेंट के लिए आचार संहिता एवं डीएसए पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सातवें सत्र का आयोजन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री विशाल गोयल ने किया। इस सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना–ऋण आधारित सब्सिडी योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने नोडल एजेंसी के तौर पर हमारे कार्य एवं इस योजना की सफलता हेतु विभिन्न पक्षों पर विस्तार से बताया। इसके पश्चात प्रशिक्षण के आठवें सत्र में आंध्रा बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक श्री अनिल गिरोत्रा ने जोखिम प्रबंधन के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी एवं इसके लाभ भी बताए। कार्यक्रम के नौवें सत्र का संचालन बैंक के सहायक प्रबंधक श्री नित्यानंद वी. ने किया। इस सत्र में उन्होंने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र का संचालन बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अतुल सिन्हा ने किया। इस सत्र में उन्होंने ऋण प्रदान करने में विवेकपूर्ण आचरण पर प्रकाश डाला। विदाई भाषण एवं प्रमाणपत्र वितरण के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया।

ग्रामीण आवास वित्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ऋण आधारित सब्सिडी योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

रा.आ.बैंक आवास वित्त संस्थानों का संवर्धन करने और ऐसे अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिये एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक का मिशन निम्न एवं मध्य आय आवास पर जोर देते हुए आबादी

के सभी वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार क्षमताओं को तलाशना एवं विकसित करना। रा.आ.बैंक ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस), जो ''प्रधानमंत्री आवास योजना –सबके लिए आवास (शहरी) योजना'' दिशा–निर्देश का दूसरा उपांग है, तथा भारत सरकार के 2022 तक सबके लिए आवास मिशन के तहत ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) हेतु एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी है। इसी दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त को बढ़ावा देने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ऋण आधारित सब्सिडी योजना पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समय–समय पर विभिन्न वित्त संस्थानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पिछली तिमाही में त्रिपुरा, केरल, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। 24 अप्रैल, 2018 को अगरतला, त्रिपुरा में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री विशाल गोयल एवं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक श्री दीपांकर अम्बुली ने किया। 27 अप्रैल, 2018 को मलाप्पुरम, केरल में केरल ग्रामीण बैंक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक श्री कुलशेखर चक्रवर्ती एवं केरल ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक श्री कृभणमूर्ति ने किया। इसी प्रकार 19 मई, 2018 को हैदराबाद, तेलंगाना एवं 22 जून, 2018 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न सत्रों के माध्यम से वक्ताओं ने भारत में आवास वित्त बाजार की स्थिति एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की क्या भूमिका है, इस पर विस्तारपूर्वक प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। आवास वित्त की पहुंच, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उतने सरल तरीके से नहीं हो पा रहा है जितनी अपेक्षा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सत्र के दौरान वक्ताओं ने इस संबंध में अपने अनुभव को भी साझा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना–ऋण आधारित सब्सिडी योजना के बारे में भी प्रतिभागियों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस प्रकार हम लाभार्थियों को इस लाभ उठाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं इस बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का एक सपना देखा गया है। इस दिशा क्या–क्या प्रयास किए गए हैं एवं अभी किन–किन क्षेत्रों में और प्रयास की आवश्यकता है इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आवास ऋण देते समय उनका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवास ऋण के सभी पक्षों के मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती है। अतः आवास ऋण के क्रेडिट कानूनी एवं तकनीकी पक्ष के मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई। केस अध्ययन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि कैसे हम आवास ऋणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू पुनर्वित्त योजना के बारे में भी बताया गया। ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका लाभ उठा कर अपने ग्राहकों तक आवास वित्त की पहुंच को सुगम बना सकें।

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना सफल रहा और इसके क्या लाभ प्राप्त हुए इसपर बेंकों के शीर्ष प्रबंधन ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समापन किया गया।

एनएचबी रेजीडेक्स - रिहायशी आवास मूल्य सूचकांक

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही हेतु अद्यतन

एनएचबी रेजीडेक्स, भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), का जुलाई, 2007 को शुभारंभ किया गया था। यह वर्ष 2007 को आधार वर्ष मानते हुए तिमाही आधार पर चयनित शहरों में रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का पता लगाता है। वर्तमान व्यष्टि अर्थव्यवस्था परिदृश्य को दर्शाने के लिए एनएचबी रेजीडेक्स को अद्यतित आधार वर्ष, संशोधित कार्यप्रणाली एवं स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ सूचकांकों के कलस्टर सहित नया रूप प्रदान किया गया है। नए रूप में तैयार एनएचबी रेजीडेक्स अपने भौगोलिक कवरेज में वृहत है और दो आवास मूल्य सूचकांक अर्थात 50 शहरों हेतु एचपीआई@आकलन मूल्य तथा 47 शहरों के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य, को शामिल करता है। यह कवरेज भारत में 21 राज्यों तक फैला है जिसमें 18 राज्य/केंद्र शासित राजधानियां[1] और 37 स्मार्ट शहर शामिल हैं। मौजूदा तिमाही से, एनएचबी ने दोनों एचपीआई हेतु शहरों की संख्या बराबर करने के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य के लिए 3 अतिरिक्त शहर भी शामिल किए हैं। एनएचबी रेजीडेक्स ने प्रत्येक 50 शहरों के लिए संयुक्त एचपीआई@आकलन मूल्य और निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई@बाजार मूल्य भी शामिल किए हैं।

उपरोक्त एचपीआई वित्तीय वर्ष 2012–13 को आधार वर्ष के तौर पर मानते हुए तिमाही आधार पर रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का पता लगाते हैं। तीन उत्पाद श्रेणी स्तर नामतः <= 60 वर्ग मी., > 60 तथा <= 110 वर्ग मी. और > 110 वर्ग मी. के अंतर्गत इकाईयों हेतु शहर स्तर (भारतीय रूपए/वर्ग फीट) पर कारपेट क्षेत्र आकार के आधार पर आवास मूल्यों को वर्गीकृत किया गया है। सूचकांकों की गणना लासपियर्स प्रणाली के उपयोग से की गई है, जिसके बाद आधार वर्ष से शुरू करते हुए सभी तिमाहियों में चार तिमाही भारित गतिशील औसत की गणना, भारित गतिशील औसत उत्पाद श्रेणी स्तर के मूल्यों पर उत्पाद श्रेणी स्तर पर गतिशील भार के अनुप्रयोग और स्थिर आधार वर्ष भार के साथ की जाती है।

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही के दौरान 50 शहरों पर आधारित संयुक्त एचपीआई@आकलन मूल्य

- संयुक्त एचपीआई@आकलन मूल्य पिछली तिमाही में 126 पर था और वर्तमान तिमाही यानी मार्च, 2018 में 127 पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में 4.5% के सीएजीआर के साथ सूचकांक बढ़ गया है।
- वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सूचकांक में कोई बदलाव नहीं आया जबकि तिमाही–दर–तिमाही आधार पर सूचकांक में 0.8% की बढ़ोतरी देखी गई।

[1]18 राज्यों/केंद्र शासित राजधानियों में से 15 शहर स्मार्ट शहर भी हैं।

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही के दौरान एचपीआई@आकलन मूल्य के अंतर्गत शहर–वार उतार–चढ़ाव

- एचपीआई ने वर्ष–दर–वर्ष आधार पर कुल मिलाकर 26 शहरों में बढ़ोतरी, 22 शहरों में गिरावट और 2 शहर में कोई बदलाव नहीं एवं तिमाही–दर–तिमाही आधार पर 32 शहरों में बढ़ोतरी, 13 शहरों में गिरावट और 5 शहरों में कोई बदलाव नहीं रिकॉर्ड किया गया है।
- तिमाही के अंत में एचपीआई में वार्षिक वृद्धि रांची में 21.8% से भिवाड़ी में (–) 15.7% तक है, जबकि एचपीआई में तिमाही वृद्धि रांची में 11.0% से तिरुवनंतपुरम में (–) 4.0% तक है।
- वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 8 टीयर–1 शहरों में से, 8.1% के साथ अहमदाबाद में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई जिसके बाद मुंबई और पुणे 4.3% और हैदराबाद 3.9% पर है। चेन्नई, बेंगलुरू, कोलकाता और दिल्ली सूचकांक में क्रमशः (–) 2.3%, (–) 2.9%, (–) 4.4% और (–) 5.6% की गिरावट देखी गई। तिमाही–दर–तिमाही आधार पर सूचकांक में दिल्ली और चेन्नई में (–) 1.0% और (–) 0.8% की गिरावट तथा बेंगलुरू (0.7%), पुणे (1.4%), मुंबई (1.4%), हैदराबाद (2.3%) और अहमदाबाद (2.9%) में बढ़ोतरी जबकि सूचकांक में कोलकाता में कोई बदलाव नहीं देखा गया।
- कवर किए जा रहे 29 टीयर–2 शहरों में से, वर्ष दर वर्ष आधार पर सूचकांक में रांची (21.8%) के बाद सूरत (11.2%) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई, जबकि जयपुर

(–14.1%) और लुधियाना (–13.5%) में जबरदस्त गिरावट देखी गई। जबकि दूसरी तरफ तिमाही–दर–तिमाही आधार पर रांची (11.0%) में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई जबकि तिरुवनंतपुरम (–4.0%) में सबसे अधिक गिरावट देखी गई।

- वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, 13 टीयर–3 शहरों में से सूचकांक में चाकन (8.8%) और पिंपरी चिंचवाड़ (6.7%) में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि भिवाड़ी (–15.7%) में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तिमाही–दर–तिमाही आधार पर कोलकाता (5.6%) में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि भिवाड़ी (–1.7%) में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही के दौरान 50 शहरों पर आधारित निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई@ बाजार मूल्य

- निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई@बाजार मूल्य जून–13 में 102 पर था और वर्तमान तिमाही यानी मार्च, 2018 में तेजी से 125 तक की बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ वर्षों में 4.4% के सीएजीआर के साथ सूचकांक बढ़ गया है।

- वर्ष–दर–वर्ष आधार पर और तिमाही–दर–तिमाही आधार पर सूचकांक में क्रमशः 2.5% और 0.8% की बढ़ोतरी देखी गई।

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही के दौरान के दौरान निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य के अंतर्गत शहर–वार उतार–चढ़ाव

- एचपीआई ने वर्ष–दर–वर्ष आधार पर कुल मिलाकर 39 शहरों में बढ़ोतरी, 10 शहरों में गिरावट और केवल 1 शहर में कोई बदलाव नहीं हुआ एवं तिमाही–दर–तिमाही आधार पर 34 शहरों में बढ़ोतरी, 8 शहरों में गिरावट और 8 शहरों में कोई बदलाव नहीं रिकॉर्ड किया गया है।

- एचपीआई में वार्षिक वृद्धि तिमाही के अंत में लखनऊ में 9.4% से पटना में (–) 12.2% तक है, जबकि एचपीआई में तिमाही वृद्धि कोलकाता में 4.1% से फरीदाबाद में (–) 3.3% तक है।

- वार्षिक आधार पर 8 टीयर–1 शहरों में पुणे (–1.4%) में गिरावट के अलावा कोलकाता (8.5%), हैदराबाद (5.0%), मुंबई (3.8%), दिल्ली (3.3%), बेंगलुरू (2.3%), अहमदाबाद (2.2%) और चेन्नई (0.7%) में वृद्धि देखी गई। तिमाही आधार पर सभी शहरों कोलकाता (4.1%), दिल्ली (2.2%), हैदराबाद (1.4%), बेंगलुरू (0.7%), मुंबई (0.7%), चेन्नई (0.7%), अहमदाबाद (0.7%) में बढ़ोतरी देखी गई और पुणे में कोई बदलाव नहीं देखा गया।

- कवर किए जा रहे 29 टीयर–2 शहरों में से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सूचकांक में सबसे अधिक बढ़ोतरी लखनऊ (9.4%) में देखी गई जिसके बाद इंदौर (7.1%) और चंडीगढ़ (6.4%) आते हैं, जबकि सूचकांक में सबसे अधिक गिरावट पटना (–12.2%), फरीदाबाद (–7.1%) और वडोदरा (–3.5%) में देखी गई है। तिमाही–दर–तिमाही आधार पर गुरुग्राम (2.8%), देहरादून (2.6%) और कोच्चि/नागपुर (2.4%) में बढ़ोतरी जबकि फरीदाबाद (–3.3%), तिरुवनंतपुरम (–2.8%) और वडोदरा (–1.8%) में सबसे अधिक गिरावट देखी गई।

- 13 टीयर–3 शहरों में से वर्ष दर वर्ष आधार पर पनेवल में 8.6% से हावड़ा में (–) 1.7% का अंतर था। तिमाही आधार पर सूचकांक में अंतर था जो हावड़ा में 0.8% से भिवाड़ी में 2.5% की श्रेणी में था।

अतिरिक्त जानकारी हेतु, 2012 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान एचपीआई@आकलन मूल्य एवं निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य के माध्यम से शहर–वार और उत्पाद–वार मूल्य प्रवृत्ति https://residex.nhbonline.org.in पर देखी जा सकती है।

जनवरी–मार्च, 2018 की तिमाही हेतु एचपीआई का विश्लेषण

संयुक्त एचपीआई@आकलन मूल्य

- पिछली तिमाही में संयुक्त एचपीआई@आकलन मूल्य 126 पर रहा और वर्तमान तिमाही में 127 पर चला गया।

- वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सूचकांक में कोई बदलाव नहीं हुआ और तिमाही–दर–तिमाही आधार पर इसमें 0.8 प्रतिशत की बढ़तोरी देखी गई।

जनवरी–मार्च, 2018 की तिमाही हेतु समग्र एचपीआई @ आकलन मूल्य

तिमाही	50 शहरों हेतु समग्र सूचकांक	तिमाही–दर–तिमाही % बदलाव
जून–13 को समाप्त तिमाही	103	
सितं.–13 को समाप्त तिमाही	106	2.9%
दिस.–13 को समाप्त तिमाही	108	1.9%
मार्च–14 को समाप्त तिमाही	110	1.9%
जून–14 को समाप्त तिमाही	111	0.9%
सितं.–14 को समाप्त तिमाही	112	0.9%
दिस.–14 को समाप्त तिमाही	113	0.9%
मार्च–15 को समाप्त तिमाही	113	0.0%
जून–15 को समाप्त तिमाही	113	0.0%
सितं.–15 को समाप्त तिमाही	114	0.9%
दिस.–15 को समाप्त तिमाही	116	1.8%
मार्च–16 को समाप्त तिमाही	118	1.7%
जून–16 को समाप्त तिमाही	121	2.5%
सितं.–16 को समाप्त तिमाही	123	1.7%
दिस.–16 को समाप्त तिमाही	125	1.6%
मार्च–17 को समाप्त तिमाही	127	1.6%
जून–17 को समाप्त तिमाही	126	.0.8%
सितं.–17 को समाप्त तिमाही	125	.0.8%
दिस.–17 को समाप्त तिमाही	126	0.8%
मार्च–18 को समाप्त तिमाही	127	0.8%

एचपीआई @ आकलन मूल्य

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही के दौरान सूचकांक में तिमाही–दर–तिमाही आधार पर कुल मिलाकर 32 शहरों में बढ़ोतरी, 13 शहरों में गिरावट और 5 शहरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है और वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 26 शहरों में बढ़ोतरी, 22 शहरों में गिरावट और 2 शहरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

तिमाही–दर–तिमाही अंतरः

- सूचकांक में बढ़ोतरी दर्शाने वाले 32 शहरों में से उल्लेखनीय बढ़ोतरी रांची (11.0%), न्यू टाउन कोलकाता (5.6%), गांधीनगर (4.0%), भोपाल (3.7%) और सूरत (3.2%) में देखी गई।
- सूचकांक में हल्की तिमाही वृद्धि देहरादून (0.9%), वड़ोदरा (0.9%), ग्रेटर नोएडा (0.8%), नागपुर (0.8%) बैंगलूरू (0.7%), मीरा भयांदर (0.7%), पिंपरी चिंचवाड़ (0.7%), विशाखापत्तनम (0.7%), ठाणे (0.7%) और कल्याण डोम्बीवली (0.7%) में देखी गई।
- सूचकांक 5 शहरों नामतः कोलकाता, भुवनेश्वर, वसई विरार, गुवाहाटी और फरीदाबाद में स्थिर रहे।
- सूचकांक में गिरावट दर्ज करने वाले 13 शहरों में से तिरूवनंतमपुरम (–4.0%), लुधियाना (–3.8%), और कानपुर (–3.2%) में भारी गिरावट देखी गई।
- चेन्नई (–0.8%), और जयपुर (–0.9%) में सूचकांक में हल्की तिमाही गिरावट देखी गई।

वर्ष–दर–वर्ष अंतरः

- सूचकांक में बढ़ोतरी दर्शाने वाले 26 शहरों में से उल्लेखनीय बढ़ोतरी रांची (21.8%), सूरत 11.2%), विशाखापत्तनम (9.0%), चाकन (8.8%), अहमदाबाद (8.1%), पटना (7.9%), पिंपरी चिंचवाड़ (6.7%) और राजकोट (6.1%) में देखी गई।
- सूचकांक में इंदौर (0.8%), ग्रेटर नोएडा (0.8%), नागपुर (0.8%) और कोयम्बटूर (0.9%) में हल्की वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई।
- कल्याण डोम्बीबली और कोच्चि में सूचकांक स्थिर रहा है।
- सूचकांक में गिरावट दर्ज करने वाले 22 शहरों में से भिवाड़ी (–15.7%), जयपुर (–14.1%), लुधियाना (–13.5%), तिरुवनंतपुरम (–7.7%), फरीदाबाद (–7.0%), गुरूग्राम (–5.8%), दिल्ली (–5.6%), मेरठ (–5.4%), हावड़ा (–4.9%), और कोलकाता (–4.4%) में भारी गिरावट देखी गई।
- लखनऊ (–0.7%), गुवाहाटी (–0.8%), और देहरादून (–0.9%) में सूचकांक में हल्की वार्षिक गिरावट देखी गई।

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही हेतु शहर–वार एचपीआई @ आकलन मूल्य

शहर	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही	जून, 2017 को समाप्त तिमाही	सितं., 2017 को समाप्त तिमाही	दिसं., 2017 को समाप्त तिमाही	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही	जून,–17 बनाम मार्च–17 (तिमाही दर तिमाही)	सितं,–17 बनाम जून–17 (तिमाही दर तिमाही)	दिसं,–17 बनाम सितं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च,–18 बनाम दिसं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च–17 बनाम मार्च–18 (वर्ष दर वर्ष)
						% बदलाव				
अहमदाबाद	99	99	101	104	107	0.0	2.0	3.0	2.9	8.1
बैंगलुरु	139	136	131	134	135	-2.2	-3.7	2.3	0.7	-2.9
भिवाड़ी	134	126	118	115	113	-6.0	-6.3	-2.5	-1.7	-15.7
भोपाल	108	110	108	108	112	1.9	-1.8	0.0	3.7	3.7
भुवनेश्वर	115	117	117	121	121	1.7	0.0	3.4	0.0	5.2
विधान नगर (राजारहाट को छोड़कर)	138	137	138	140	142	-0.7	0.7	1.4	1.4	2.9
चाकन	136	138	141	144	148	1.5	2.2	2.1	2.8	8.8
चंडीगढ़ (ट्राइसिटी)	96	95	96	98	100	-1.0	1.1	2.1	2.0	4.2
चेन्नई	131	130	127	129	128	-0.8	-2.3	1.6	-0.8	-2.3
कोयम्बटूर	115	113	110	114	116	-1.7	-2.7	3.6	1.8	0.9
देहरादून	110	110	109	108	109	0.0	-0.9	-0.9	0.9	-0.9
दिल्ली	107	107	103	102	101	0.0	-3.7	-1.0	-1.0	-5.6
फरीदाबाद	115	115	106	107	107	0.0	-7.8	0.9	0.0	-7.0
गांधीनगर	100	98	96	99	103	-2.0	-2.0	3.1	4.0	3.0
गाजियाबाद	113	115	115	112	109	1.8	0.0	-2.6	-2.7	-3.5
ग्रेटर नोएडा	123	121	122	123	124	-1.6	0.8	0.8	0.8	0.8
गुरूग्राम	121	121	118	117	114	0.0	-2.5	-0.8	-2.6	-5.8
गुवाहाटी	128	126	127	127	127	-1.6	0.8	0.0	0.0	-0.8
हावड़ा	164	162	158	158	156	-1.2	-2.5	0.0	-1.3	-4.9
हैदराबाद	127	126	126	129	132	-0.8	0.0	2.4	2.3	3.9
इंदौर	127	125	123	126	128	-1.6	-1.6	2.4	1.6	0.8
जयपुर	135	128	122	117	116	-5.2	-4.7	-4.1	-0.9	-14.1
कल्याण डोम्बीवली	150	150	148	149	150	0.0	-1.3	0.7	0.7	0.0
कानपुर	158	155	153	158	153	-1.9	-1.3	3.3	-3.2	-3.2

शहर	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही	जून, 2017 को समाप्त तिमाही	सितं., 2017 को समाप्त तिमाही	दिसं., 2017 को समाप्त तिमाही	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही	जून,–17 बनाम मार्च–17 (तिमाही दर तिमाही)	सितं,–17 बनाम जून–17 (तिमाही दर तिमाही)	दिसं,–17 बनाम सितं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च,–18 बनाम दिसं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च–17 बनाम मार्च–18 (वर्ष दर वर्ष)
						% बदलाव				
कोच्चि	136	141	137	139	136	3.7	-2.8	1.5	-2.2	0.0
कोलकाता	136	130	128	130	130	-4.4	-1.5	1.6	0.0	-4.4
लखनऊ	136	137	134	132	135	0.7	-2.2	-1.5	2.3	-0.7
लुधियाना	148	144	137	133	128	-2.7	-4.9	-2.9	-3.8	-13.5
मेरठ	168	164	158	157	159	-2.4	-3.7	-0.6	1.3	-5.4
मीरा भयान्दर	132	133	134	134	135	0.8	0.8	0.0	0.7	2.3
मुंबई	138	139	139	142	144	0.7	0.0	2.2	1.4	4.3
नागपुर	128	128	125	128	129	0.0	-2.3	2.4	0.8	0.8
नासिक	121	120	121	124	127	-0.8	0.8	2.5	2.4	5.0
नवी मुंबई	133	130	130	129	131	-2.3	0.0	-0.8	1.6	-1.5
न्यू टाऊन कोलकाता	127	124	121	125	132	-2.4	-2.4	3.3	5.6	3.9
नोएडा	116	115	113	114	112	-0.9	-1.7	0.9	-1.8	-3.4
पनवेल	122	121	120	122	124	-0.8	-0.8	1.7	1.6	1.6
पटना	126	129	131	133	136	2.4	1.6	1.5	2.3	7.9
पिंपरी चिंचवाड़	134	139	138	142	143	3.7	-0.7	2.9	0.7	6.7
पुणे	141	141	141	145	147	0.0	0.0	2.8	1.4	4.3
रायपुर	125	125	121	123	121	0.0	-3.2	1.7	-1.6	-3.2
राजकोट	132	132	135	138	140	0.0	2.3	2.2	1.4	6.1
रांची	124	127	131	136	151	2.4	3.1	3.8	11.0	21.8
सूरत	116	119	120	125	129	2.6	0.8	4.2	3.2	11.2
ठाणे	148	144	142	145	146	-2.7	-1.4	2.1	0.7	-1.4
तिरुवनंतपुरम	130	124	122	125	120	-4.6	-1.6	2.5	-4.0	-7.7
वडोदरा	113	112	112	115	116	-0.9	0.0	2.7	0.9	2.7
वसई विरार	126	127	130	132	132	0.8	2.4	1.5	0.0	4.8
विजयवाड़ा	147	144	143	143	145	-2.0	-0.7	0.0	1.4	-1.4
विशाखापत्तनम	134	140	142	145	146	4.5	1.4	2.1	0.7	9.0

निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई@बाजार मूल्य

- पिछली तिमाही में निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई @ आकलन मूल्य 124 पर रहा और वर्तमान तिमाही में 125 पर चला गया।
- वर्ष–दर–वर्ष आधार पर और तिमाही–दर–तिमाही आधार पर सूचकांक में क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

जनवरी–मार्च, 2018 की तिमाही हेतु निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु समग्र एचपीआई@बाजार मूल्य

तिमाही	50 शहरों हेतु समग्र सूचकांक	तिमाही–दर–तिमाही % बदलाव
जून–13 को समाप्त तिमाही	102	
सितं.–13 को समाप्त तिमाही	104	2.0%
दिस.–13 को समाप्त तिमाही	106	1.9%
मार्च–14 को समाप्त तिमाही	107	0.9%
जून–14 को समाप्त तिमाही	109	1.9%
सितं.–14 को समाप्त तिमाही	111	1.8%
दिस.–14 को समाप्त तिमाही	113	1.8%
मार्च–15 को समाप्त तिमाही	115	1.8%
जून–15 को समाप्त तिमाही	116	0.9%
सितं.–15 को समाप्त तिमाही	118	1.7%
दिस.–15 को समाप्त तिमाही	119	0.8%
मार्च–16 को समाप्त तिमाही	119	0.0%
जून–16 को समाप्त तिमाही	121	1.7%
सितं.–16 को समाप्त तिमाही	121	0.0%
दिस.–16 को समाप्त तिमाही	121	0.0%
मार्च–17 को समाप्त तिमाही	122	0.8%
जून–17 को समाप्त तिमाही	122	0.0%
सितं.–17 को समाप्त तिमाही	123	0.8%
दिस.–17 को समाप्त तिमाही	124	0.8%
मार्च–18 को समाप्त तिमाही	125	0.8%

निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य

जनवरी–मार्च, 2018 तिमाही के दौरान सूचकांक में तिमाही–दर–तिमाही आधार पर कुल मिलाकर 34 शहरों में बढ़ोतरी, 8 शहरों में गिरावट और 8 शहरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है और वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 39 शहरों में बढ़ोतरी, 10 शहरों में गिरावट और 1 शहर में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

तिमाही–दर–तिमाही अंतरः

- सूचकांक में बढ़ोतरी दर्शाने वाले 34 शहरों में से उल्लेखनीय बढ़ोतरी कोलकाता (4.1%), गुरूग्राम (2.8%) देहरादून (2.6%), और भिवाड़ी (2.5%) में देखी गई।
- सूचकांक में हल्की तिमाही वृद्धि दर्शाने वाले 15 शहरों में से रांची (0.9%), ग्रेटर नोएडा (0.9%), गांधीनगर (0.9%), चंडीगढ़ (0.9%), शीर्ष पर रहे।
- 8 शहरों नामतः जयपुर, रायपुर, मीरा भयांदर, वसई विरार, पुणे, पटना, राजकोट और विशाखापत्तनम में सूचकांक स्थिर रहा।
- सूचकांक में गिरावट दर्ज करने वाले शहर फरीदाबाद (–3.3%), तिरुवनंतपुरम (–2.8%), वड़ोदरा (–1.8%), हावड़ा (–0.8%), सूरत (–0.8%) और चाकन (–0.7%) रहे।

वर्ष–दर–वर्ष अंतरः

- सूचकांक में बढ़ोतरी दर्शाने वाले 39 शहरों में से उल्लेखनीय बढ़ोतरी लखनऊ (9.4%), पनवेल (8.6%), कोलकाता (8.5%), इंदौर (7.1%), ठाणे (6.5%), और चंडीगढ़ (6.4%) में देखी गई।
- 3 शहरों अर्थात तिरुवनंतपुरम (0.7%), चेन्नै (0.7%) और चाकन (0.7%) में सूचकांक में हल्की तिमाही बढ़ोतरी देखी गई।
- गांधीनगर में सूचकांक स्थिर रहा।
- सूचकांक में गिरावट दर्ज करने वाले 10 शहरों में से पटना (–12.2%), फरीदाबाद (–7.1%), वड़ोदरा (–3.5%), राजकोट (–1.8%), भोपाल (–1.7%), हावड़ा (–1.7%) और पुणे (–1.4%) में भारी गिरावट देखी गई।
- वसई विरार (–0.9%), मेरठ (–0.8%) और नासिक (–0.8%) में सूचकांक में हल्की तिमाही गिरावट देखी गई।

जनवरी–मार्च, 2018 की तिमाही हेतु निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु शहर–वार एचपीआई @ बाजार मूल्य

शहर	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही	जून, 2017 को समाप्त तिमाही	सितं., 2017 को समाप्त तिमाही	दिसं., 2017 को समाप्त तिमाही	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही	जून,–17 बनाम मार्च–17 (तिमाही दर तिमाही)	सितं,–17 बनाम जून–17 (तिमाही दर तिमाही)	दिसं,–17 बनाम सितं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च,–18 बनाम दिसं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च–17 बनाम मार्च–18 (वर्ष दर वर्ष)
						% बदलाव				
अहमदाबाद	136	137	138	138	139	0.7	0.7	0.0	0.7	2.2
बैंगलुरु	132	133	134	134	135	0.8	0.8	0.0	0.7	2.3
भिवाड़ी	116	117	120	120	123	0.9	2.6	0.0	2.5	6.0
भोपाल	115	114	114	114	113	-0.9	0.0	0.0	-0.9	-1.7
भुवनेश्वर	128	129	131	133	135	0.8	1.6	1.5	1.5	5.5
विधान नगर (राजारहाट को छोड़कर)	151	151	152	155	158	0.0	0.7	2.0	1.9	4.6
चाकन	135	136	137	137	136	0.7	0.7	0.0	-0.7	0.7
चंडीगढ़ (ट्राइसिटी)	110	113	116	116	117	2.7	2.7	0.0	0.9	6.4
चेन्नई	135	132	132	135	136	-2.2	0.0	2.3	0.7	0.7
कोयम्बटूर	128	129	131	131	133	0.8	1.6	0.0	1.5	3.9
देहरादून	150	151	151	151	155	0.7	0.0	0.0	2.6	3.3
दिल्ली	91	91	92	92	94	0.0	1.1	0.0	2.2	3.3
फरीदाबाद	127	125	125	122	118	-1.6	0.0	-2.4	-3.3	-7.1
गांधीनगर	116	115	115	115	116	-0.9	0.0	0.0	0.9	0.0
गाजियाबाद	119	119	119	120	121	0.0	0.0	0.8	0.8	1.7
ग्रेटर नोएडा	107	108	108	109	110	0.9	0.0	0.9	0.9	2.8
गुरूग्राम	107	107	107	108	111	0.0	0.0	0.9	2.8	3.7
गुवाहाटी	128	131	133	133	134	2.3	1.5	0.0	0.8	4.7
हावड़ा	120	121	119	119	118	0.8	-1.7	0.0	-0.8	-1.7
हैदराबाद	139	140	141	144	146	0.7	0.7	2.1	1.4	5.0
इंदौर	112	114	116	118	120	1.8	1.8	1.7	1.7	7.1
जयपुर	144	145	145	149	149	0.7	0.0	2.8	0.0	3.5
कल्याण डोम्बीवली	130	130	130	131	132	0.0	0.0	0.8	0.8	1.5
कानपुर	134	137	139	140	141	2.2	1.5	0.7	0.7	5.2

शहर	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही	जून, 2017 को समाप्त तिमाही	सितं., 2017 को समाप्त तिमाही	दिसं., 2017 को समाप्त तिमाही	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही	जून,–17 बनाम मार्च–17 (तिमाही दर तिमाही)	सितं,–17 बनाम जून–17 (तिमाही दर तिमाही)	दिसं,–17 बनाम सितं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च,–18 बनाम दिसं–17 (तिमाही दर तिमाही)	मार्च–17 बनाम मार्च–18 (वर्ष दर वर्ष)
						% बदलाव				
कोच्चि	126	129	125	125	128	2.4	-3.1	0.0	2.4	1.6
कोलकाता	94	93	95	98	102	-1.1	2.2	3.2	4.1	8.5
लखनऊ	106	110	114	117	116	3.8	3.6	2.6	-0.9	9.4
लुधियाना	174	175	176	178	180	0.6	0.6	1.1	1.1	3.4
मेरठ	122	123	123	120	121	0.8	0.0	-2.4	0.8	-0.8
मीरा भयान्दर	122	122	122	124	124	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
मुंबई	131	132	133	135	136	0.8	0.8	1.5	0.7	3.8
नागपुर	128	127	127	127	130	-0.8	0.0	0.0	2.4	1.6
नासिक	127	126	124	124	126	-0.8	-1.6	0.0	1.6	-0.8
नवी मुंबई	121	121	121	121	123	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
न्यू टाऊन कोलकाता	117	119	120	121	122	1.7	0.8	0.8	0.8	4.3
नोएडा	110	109	110	110	112	-0.9	0.9	0.0	1.8	1.8
पनवेल	128	130	133	137	139	1.6	2.3	3.0	1.5	8.6
पटना	90	85	82	79	79	-5.6	-3.5	-3.7	0.0	-12.2
पिंपरी चिंचवाड़	127	128	129	130	131	0.8	0.8	0.8	0.8	3.1
पुणे	138	136	136	136	136	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4
रायपुर	128	130	130	130	130	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6
राजकोट	112	111	111	110	110	-0.9	0.0	-0.9	0.0	-1.8
रांची	102	103	105	107	108	1.0	1.9	1.9	0.9	5.9
सूरत	122	125	126	128	127	2.5	0.8	1.6	-0.8	4.1
ठाणे	123	124	126	128	131	0.8	1.6	1.6	2.3	6.5
तिरुवनंतपुरम	137	137	135	142	138	0.0	-1.5	5.2	-2.8	0.7
वडोदरा	113	110	111	111	109	-2.7	0.9	0.0	-1.8	-3.5
वसई विरार	113	113	112	112	112	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9
विजयवाड़ा	145	146	146	146	148	0.7	0.0	0.0	1.4	2.1
विशाखापत्तनम	128	129	129	130	130	0.8	0.0	0.8	0.0	1.6

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना

दावर हुसैन
उप प्रबंधक

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना की शुरूआत वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य निम्न आय आवास हेतु दिए जाने वाले ऋणों में आने वाले जोखिम को गारंटी प्रदान करना था। उक्त योजना की व्यवस्था एवं संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01–05–2012 को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, जिसका परिवर्तित नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, के तत्वाधान में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की। न्यास की व्यवस्था राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) द्वारा की जाती है।

योजना का उद्देश्य जोखिम कम करने वाले एक घटक के रूप में कार्य करना है जो कि ऋणदाता संस्थानों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को दिए जाने वाले आवास ऋणों पर गारंटी कवर प्रदान करती है जिससे कि ऐसे वर्ग को दिए जाने वाले ऋणों हेतु ऋणदाता संस्थानों का विश्वास बढ़ें।

ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना का प्रयोजन शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास हेतु ऋण देने के लिए ऋणदाता संस्थानों को प्रेरित करते हुए निम्न आय वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/– रुपए होनी चाहिए तथा निम्न आय वर्ग का तात्पर्य उन परिवारों से है जिनकी वार्षिक आय 1,00,001/– रु. से 2,00,000/– रु. तक हों।

यह योजना 8 लाख रुपए तक के सभी अनुमोदित तथा ऋणदाता संस्थानों द्वारा वितरित आवास ऋणों हेतु (01–10–2014 से प्रभावी) गारंटी कवर प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत गारंटी कवर 5 लाख रुपए के ऋण तक ही सीमित है। इससे पूर्व 5 लाख रुपए तक के आवास ऋण ही योजना के अंतर्गत पात्र थे।

जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के नए अथवा मौजूदा वैयक्तिक उधारकर्ता जो कि घर में सुधार, निर्माण, अधिग्रहण तथा नई अथवा पुरानी आवासीय इकाई को खरीदने के लिए जिसका कारपेट एरिया 430 वर्गफुट (40 वर्ग मी.) हो एवं जिस हेतु ऋण 8 लाख रुपए से अधिक न हों तथा वह आवास ऋण जिसके लिए ऋणदाता संस्थान ने किसी प्रकार की संपार्श्विक सुरक्षा और/या तृतीय पक्ष गारंटी नहीं ली है, योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इसके अलावा, पात्र उधारकर्ता, जैसा कि ऊपर परिभाषित है, यदि कम से कम 20 सदस्यों का एक समूह अथवा आवासीय सोसायटी का गठन करते हैं तो वह भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा/तृतीय पक्ष गारंटी की बाध्यता के ऋण प्राप्त करना शहरी गरीबों को उनका अपना घर खरीदने के उद्देश्य को पूरा करने में प्रमुख घटक के रूप में भूमिका अदा करता है।

आवास ऋण किसी एक संस्थान द्वारा या कई संस्थानों द्वारा मिलकर भी पात्र उधारकर्ता को दिया जा सकता है जहां पर ऋण राशि 8 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता तथा प्रति मुख्य प्रतिभूति से अधिक न हो जो कि प्रत्येक ऋणदाता संस्थान द्वारा अधिकतम राशि या न्यास द्वारा निर्दिष्ट राशि के आधार पर हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां तथा भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों के तहत पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी–एमएफआई) और राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत शीर्ष

सहकारी आवास वित्त सोसाइटी पात्र ऋणदाता संस्थान हैं।

योजना के तहत ऋण गारंटी प्राप्त करने को इच्छुक ऋणदाता संस्थानों को निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास के साथ एक करार निष्पादित करना आवश्यक हैं और उनके द्वारा संस्वीकृत प्रत्येक ऋण खाते के संबंध में गारंटी आवेदन के साथ कुल ऋण राशि के 1.00% की निर्धारित दर पर एकबारगी गारंटी शुल्क को प्रयोज्य कर के साथ न्यास को प्रस्तुत करना होगा।

योजना के तहत 2 लाख रु. तक के आवास ऋण पर उपलब्ध गारंटी कवर चूक में राशि का 90% है बशर्ते कि संस्वीकृत आवास ऋण राशि का अधिकतम 90% हो और जहां आवास ऋण 2 लाख रु. से अधिक है चूक में राशि का 85% है बशर्ते कि संस्वीकृत आवास ऋण राशि का अधिकतम 85% हो। गारंटी कवर की अवधि गारंटी शुरू होने की तिथि से गारंटी कवर की अवधि है जो आवास ऋण की सहमत अवधि और अधिकतम 25 वर्षों के लिए या ऋण समाप्ति तिथि, जो भी पहले हो या उधारदाता और न्यास के बीच हुए करार में निर्धारित अवधि अनुसार होगा।

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत ऋणों के लिए उचित जोखिम भार के निर्धारण (असाइनमेंट) और ऐसे ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधानीकरण नियमों के निर्धारण के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) ने अपने विभिन्न परिपत्रों (परिपत्र सं. डीबीओडी.नं. बीपी.बीसी–90/21.04.048/2012–13 दिनांकित 16–04–2013, नं. यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी. परिपत्र सं. 37/09.22.010/2013–14 दिनांकित 14–11–2013 और सं. डीएनबीएस.पीडी. 363/03.10.38/2013–14 दिनांकित 01–01–2014, आदि) तथा रा.आ.बैंक ने अपने नीति परिपत्र सं. रा.आ.बैंक (नदि)/डीआरएस/नीति सं. 56/2012–13 दिनांकित 24–06–2013 द्वारा यह निर्णय लिया है कि, ऋणदाता संस्थान गारंटीकृत भाग के लिए शून्य जोखिम भार निर्धारित करेंगे और गारंटीकृत भाग से अधिक शेष बकाया ऋण प्रतिपक्षकार हेतु उचित जोखिम भार को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि गारंटी में कवर ऋण/अग्रिम अनर्जक बन जाते हैं तो आवास ऋण के गारंटीकृत भाग के लिए कोई प्रावधान बनाने की जरुरत नहीं है तथा गारंटीकृत भाग से अधिक बकाया राशि को अनर्जक आस्तियों के प्रावधानीकरण पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए।

चूक के मामले में, ऋणदाता विधि की उचित प्रक्रिया के तहत वसूली की कार्यवाही की शुरूआत और ऋण के वापस लेने पर चूक खाते पर दावे को प्राथमिकता देगा। हालांकि ऋणदाता 24 महीनों की अवरुद्धता अवधि के बाद ही न्यास द्वारा दी गई गारंटी को इनवोक कर सकता है। अवरूद्धता अवधि ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपने उधारकर्ता के आवास ऋण के अंतिम संवितरण की तिथि के 24 महीने बाद या आवास ऋण के संबंध में प्रभावी गारंटी कवर की तिथि से 24 महीने बाद या आवास निर्माण पूरा होने के 2 महीने बाद, जो भी बाद की हो, समाप्त होगी।

प्रमुख बैंक एवं आ.वि.कं. पहले ही भारत सरकार की इस पहल के कार्यान्वयन हेतु करार निष्पादित कर चुके हैं। यथा 30.06.2018 तक, 80 संस्थान योजना के तहत न्यास के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर चुके हैं। दिनांक 30.06.2018 तक न्यास ने 14 सदस्य ऋणदाता संस्थानों के 1,978 ऋण खातों के संबंध में गारंटी कवर जारी किए है जिसमें ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों हेतु कुल 56.30 करोड़ रु. की ऋण राशि शामिल हैं। इन सदस्य ऋणदाता संस्थानों में 9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 4 आवास वित्त कंपनियां और 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है।

महानगरीय समस्या – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

रंजन कुमान बरून
उप महाप्रबंधक

प्रस्तावना

पिछले कुछ समय में महानगरों के सम्मुख एक समस्या जो बड़े ही विकराल रूप में उभरकर सामने आयी है वह यह कि महानगरों में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। मानवीय क्रियाकलापों से बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट में जहां एक तरफ ऊर्जा एवं उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति के असंख्य स्रोत छिपे हैं वही दूसरी तरफ इसका निपटान सही तरीके से नहीं करने की स्थिति में यह पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है। आज विकसित एवं विकासशील दोनों ही देशों से कूड़े कचरे के सुरक्षित एवं सही प्रकार से निपटान के लिए गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है।

भारत के संदर्भ में शहरों में यह समस्या तेजी से बढ़ी है। 2001 में जहां शहरी जनसंख्या कुल आबादी का 27.75 प्रतिशत था वहीं 2011 में भारत की कुल आबादी का लगभग 31 प्रतिशत शहरों में वास करता है। बेहतर रोजगार के अवसरों एवं अन्य सुख सुविधाओं के आकर्षण में गांवों से लोगों का शहरों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है। परंतु इसी के साथ शहरों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट यानी घर से निकले, उद्योगों, वाणिज्य एवं बायो मेडिकल से व्युत्पन्न ठोस अपशिष्ट के सही प्रकार से निपटान की जरूरत तेजी से बढ़ती जा रही है।

ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं समस्या का वास्तविक स्वरूप

एक अनुमान के अनुसार भारतीय शहरों में एक वर्ष में 60 मिलियन मीट्रिक टन कचरा निकलता है। देश के कुछ बड़े शहरों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की एक स्थिति पर आईये नीचे नजर डालें:

विकसित देशों में जहां एक ओर तेजी से औद्योगिक प्रगति हो रही है वहीं ये देश इस प्रकार के अपशिष्टों के बेहतर एवं सुरक्षित निपटान के लिए प्रभावी प्रयास कर रहे हैं तथा इस प्रकार के अपशिष्टों को रिसाईकल कर पुनः प्रयोग में आने वाले उत्पाद बना रहे हैं वहीं भारत में इस प्रकार के अपशिष्टों को रिसाईकल न कर पाने का एक प्रमुख कारण सरकारी प्रयास न होना, लोगों में जागरूकता न होना एवं सबसे बढ़कर यहां अपशिष्टों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग न करना है जिसके कारण रिसाईकल परियोजनाएं निष्फल हो जाती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कुछ नूतन प्रयास

वर्तमान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूरे देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया है। पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ और सीसी) ने 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (एसडब्ल्यूएम) को अधिसूचित किया। नियमों के मुताबिक, 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र या उससे अधिक के भूखंड पर निर्मित किसी भी आवासीय, संस्थागत या औद्योगिक भवन को पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट का अनिवार्य व्यवहार करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व के नियमों को आज की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया है ये नियम हैं:–

1. खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
3. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
5. ई–कचरा प्रबंधन नियम, 2016
6. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

विकसित एवं चुनिंदा विकासशील देशों में ठोस अपशिष्ट प्रबंध

लगभग सभी विकसित एवं चुनिंदा विकासशील देशों में ठोस अपशिष्ट प्रबंध की दशा में काफी कार्य हुआ है। डेनमार्क, अमरीका, जर्मनी

आदि विकसित देशों में इस दिशा में काफी कार्य हुआ है। इन देशों में बड़े ही सुनियोजित तरीके से ठोस अपशिष्ट का एकत्रण किया जाता है एवं तत्पश्चात् उसकी बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आदि श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह एकत्रण केवल आवासीय इकाईयों से नहीं बल्कि औद्योगिक इकाईयों, मेडिकल उत्पाद इकाईयों आदि से भी अपशिष्ट का एकत्रण किया जाता है। एकत्रित अपशिष्टों को उनकी श्रेणी अनुसार रिसाईकल किया जाता है एवं पूरी प्रक्रिया के तहत अलग–अलग प्रकार के अपशिष्टों को कभी भी आपस में मिश्रित नहीं किया जाता है। जो अपशिष्ट रिसाईकल होने लायक नहीं होता उसको भराव आदि के काम में लाया जाता है।

हमारे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण एवं अपेक्षित कार्रवाई

आज के परिदृश्य में यह जरूरी हो गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध के संग्रहण, उपचार एवं उपयोग वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए

राष्ट्रीय नीति बनाई जाए एवं शीर्ष स्तरीय अपशिष्ट प्रबंध एकक का गठन किया जाए। इस संबंध में उचित होगा कि पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तरीय अपशिष्ट प्रबंध एकक का गठन किया जाए। एक कार्य न केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए बने कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करें एवं वर्तमान कानूनों में सुधार तथा नए कानून बनाने के लिए भी आवश्यक प्रारूप तैयार करें। इस राष्ट्रीय एकक द्वारा तैयार की गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को समूल रूप से एवं जरूरत पड़ने पर आंशिक संशोधनों के साथ राज्यों एवं महानगरों में अपनाया जाए एवं पर्याप्त मॉनीटरिंग की व्यवस्था की जाए। 2014 में, जब सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, तो ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए आवंटित धन 7,424 करोड़ रुपए था, जिसमें से 1,465 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। जबकि शौचालयों के निर्माण की दूसरी पहल सफल रही है।

स्थानीय स्तर पर की जाने वाली व्यवस्था

एक बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली के पूर्णतया विकास के लिए सबसे अधिक जरूरी है–जनता का सहयोग। आज चाहे अपशिष्ट को इकट्ठा करने की प्रक्रिया हो या उसे अलग–अलग रिसाईकल करने की एवं उसको वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने की, इन सभी प्रक्रियाओं की पूर्ण सफलता निर्भर करेगी तो जनता के सहयोग एवं सहभागिता पर।

स्थानीय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए उठाए जाने वाले कदम

अपशिष्ट के श्रेणीकरण के लिए आवश्यक निर्देशः

स्थानीय स्तर पर यह जरूरी है कि जो सरकारी एजेंसी उस नगर या क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है वह सभी उद्योगों, अस्पतालों एवं परिवारों को ठोस अपशिष्ट के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करें कि उन्हें किस प्रकार से बायो डिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को अलग–अलग कर रखना है।

ठोस अपशिष्टों का संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंध की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सरकारी तंत्र या गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद से घरों में, फैक्ट्रियों से, अस्पतालों एवं अन्य इकाईयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंध को इकट्ठा किया जाए एवं उन्हें क्षेत्रीय रिसाईक्लिंग केन्द्रों आदि में ले जाया जाए।

इस संबंध में, दिल्ली नगर निगम शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जहां घरों आदि में लोगों के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है कि वह अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को श्रेणी अनुसार दो भागों में बाटें एवं अलग–अलग कूड़ादानों में रखें एवं इन कूड़ादानों से अपशिष्ट उनके घर से संग्रहित किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम जैसी ही व्यवस्था अन्य राज्यों में भी की जानी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में विशेष रूप से कदम उठाए हैं एवं मुख्यतः बायो मेडिकल वेस्ट के उचित तरीके से निपटान के लिए निर्देश है कि:–

- बायो मेडिकल वेस्ट को उसके निकलने के स्रोत पर रंगो द्वारा संकेतित थैली में अलग–अलग रखना चाहिए।
- नुकीली वस्तुओं को पंक्चर न होने वाले पात्रों में रखा जाए।
- इन अपशिष्टों को 48 घंटे के भीतर उपचारित किया जाना चाहिए।
- बायो मेडिकल वेस्ट के उत्पादन एवं निपटान का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए।

समय के साथ यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निपटान के लिए बनाए गए नियमों एवं प्रक्रिया का पालन कड़ाई से किया जाए।

सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण

समय के साथ यह जरूरी हो जाता है कि महानगरों एवं बड़े नगरों में सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाए। वर्षों से हमारी पूरी सफाई व्यवस्था केवल सफाई कर्मचारियों पर ही निर्भर है। बड़े–बड़े महानगरों में जहां रोज का करोड़ों टन वेस्ट निकलता है एवं सफाई कर्मचारियों की सीमित श्रम शक्ति के कारण अपशिष्ट प्रबंध में दिक्कत आती है, ऐसी दशा में नवीन यंत्रों की मदद से इस कार्य को किया जाना चाहिए तथा अगर जरूरत पड़े तो अन्य देशों में सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण में इस्तेमाल की गई तकनीक को आयात करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बेहतर परिणामों के लिए यह कार्य सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त, सफाई व्यवस्था का कार्य सक्षम प्राइवेट एजेंसियों एवं गैर–सरकारी संगठनों को भी सौंपा जा सकता है।

सफाई कार्य से जुड़े लोगों की स्वास्थ्य रक्षा

यह भी देखने में आया है कि सफाई व्यवस्था से जुड़े लोग कभी–कभी टीबी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सफाई व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंध के संग्रहण आदि कार्य में लगे लोगों को मास्क, दस्ताने, आवश्यक जूते इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं। जिससे अपशिष्ट के कीटाणु से रोग फैलने के खतरे पर अंकुश लग सके।

गंदगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना

यह भी देखने में आया है कि शरारती तत्व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करते रहते हैं एवं खाने पीने का सामान फेंक देना, प्लास्टिक की थैलियों को खुले में छोड़ देना आदि आम बात है। इन सब

घटनाओं में अपशिष्ट प्रबंध संग्रहण का कार्य न केवल कष्टकर वरन् अत्यंत दुरुह बन जाता है एवं इस प्रकार की घटनाएं अगर नहीं रुक पाती हैं तो उससे ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की सफलता पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है क्योंकि इस पूरी प्रणाली की मुख्य सफलता प्रभावी संग्रहण एवं जनमानस के सहयोग पर निर्भर करती

है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि गंदगी फैलाने वाले लोगों को 'आन दि स्पॉट' जुर्माना किया जाए जिससे इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

जनता की सहभागिता एवं जन चेतना

ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की सफलता का रहस्य जनसहभागिता एवं जन चेतना में छुपा हुआ है। यह जरूरी है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों में गैर–सरकारी संगठनों, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों, हेल्थ सेंटरों आदि की सक्रिय सहभागिता शहरी स्थानीय निकायों के साथ हो जिससे कार्यक्रम की सफलता शत प्रतिशत हो सके। इसके साथ ही, जनमानस को ठोस अपशिष्ट प्रणाली के फायदों से परिचित कराने के लिए समय–समय पर कैंप तो लगाए जाए, साथ ही मीडिया की मदद से इस प्रणाली की उपयोगिता एवं जनमानस को होने वाले लाभों तथा राष्ट्र हित से भी भलीभांति परिचित कराया जाए। जिससे जनमानस का सहयोग सभी स्तरों पर प्राप्त हो सके। स्वच्छ भारत अभियान को जिस प्रकार से जन सहभागिता प्राप्त हुई है इसने यह आस बंधाई है कि जल्द ही भारत कचरा मुक्त एक स्वच्छ भारत के रूप में विश्व पटल पर अपना परचम लहराएगा।

जीएसटी क्या है?

राधिका मूना
प्रबंधक

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ली है। 29 मार्च, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम ससंद में पारित किया गया। यह अधिनियम 1 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया; भारत में वस्तु एवं सेवा कर नियम एक व्यापक, बहु–चरणीय, गंतव्य–आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।

साधारण शब्दों में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इस कानून ने कई प्रत्यक्ष कर कानूनों की जगह ली है जो पूर्व में भारत में मौजूद थे।

जीएसटी संपूर्ण देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है।

भारत में जीएसटी की यात्रा

जीएसटी की यात्रा वर्ष 2000 में शुरू हुई जब कानून का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तब से लेकर इस कानून को बनने में 17 वर्षों का लंबा समय लगा। वर्ष 2017 में जीएसटी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून प्रभाव में आया।

जीएसटी के घटक कौन–कौन से हैं?

इस प्रणाली के अंतर्गत 3 कर लागू हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी :

- सीजीएसटी: यह केंद्र सरकार द्वारा अंतरराज्यीय विक्रय पर संग्रहित किया जाता है (उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के भीतर)
- एसजीएसटी: यह राज्य सरकार द्वारा अंतरराज्यीय विक्रय पर संग्रहित किया जाता है (उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के भीतर)
- आईजीएसटी: यह केंद्र सरकार द्वारा अंतःराज्य विक्रय पर संग्रहित किया जाता है (उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से तमिलनाडु)

जीएसटी के फायदे

जीएसटी मुख्यतौर पर वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय पर व्यापक प्रभाव को समाप्त करेगा। व्यापक प्रभाव की समाप्ति सीधे वस्तुओं की लागत पर प्रभाव डालेगी। चूंकि इस क्षेत्र में कर पर कर समाप्त हो गया है तो वस्तुओं की कीमत घटती है।

जीएसटी मुख्यतौर पर तकनीक संचालित भी है। सभी गतिविधियां जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना, वापसी हेतु आवेदन और नोटिस पर जवाब जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। यह प्रक्रियाओं की गति प्रदान करेगा।

- व्यापक कर प्रभाव को समाप्त करना
- पंजीकरण हेतु उच्च सीमा
- छोटो कारोबारों हेतु संयोजन योजना

- जीएसटी के अंतर्गत ऑनलाइन सरल प्रविधि
- निम्न अनुपालन
- ई–कॉमर्स हेतु परिभाषित उपचार
- लॉजिस्टिक में बढ़ती दक्षता
- असंगठित सेक्टर को विनियमित करना

जीएसटी के पूर्व कर नियम

पूर्व के अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में, राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। राज्य मुख्यतौर पर मूल्य

वर्धित कर (वैट) के रूप में कर संग्रहित करते थे। प्रत्येक राज्य के अपने अलग–अलग नियम एवं कानून थे।

राज्यों के बीच वस्तुओं की बिक्री पर केंद्र द्वारा कर वसूला जाता था। सीएसटी (केंद्र राज्य कर) वस्तुओं के राज्यों के बीच बिक्री पर लागू था। उपरोक्त के अलावा मनोरंजन कर और स्थानीय कर जो राज्य एवं केंद्र द्वारा लगाए जाते थे।

इसके कारण राज्य और केंद्र दोनों द्वारा लगाए जाने वाले कर ओवरलेप कर रहे थे। निम्नलिखित सूची में जीएसटी व्यवस्था से पूर्व में अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है:

• केंद्रीय उत्पाद शुल्क • उत्पाद शुलक • अतिरिक्त उत्पाद शुल्क • विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क • सेस • राज्य वैट • केंद्रीय विक्रय कर • क्रय कर • लक्जरी कर • मनोरंजन कर • प्रवेश शुल्क • विज्ञापनों पर कर • लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर

सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ने इन उपरोक्त करों की जगह ली है।

जीएसटी ने क्या बदलाव लाया है?

जीएसटी व्यवस्था से पूर्व में, अंतिम उपभोक्ता सहित प्रत्येक ग्राहक को कर पर कर का भुगतान करना पड़ता था। इस कर पर कर को करों का व्यापक प्रभाव कहते हैं।

जीएसटी इस व्यापक प्रभाव से बचाता है क्योंकि कर की गणना स्वामित्व के हस्तांतरण के प्रत्येक चरण में केवल मूल्य–वर्धन पर की जाती है। जीएसटी के अंतर्गत यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली करों के संग्रहण को बेहतर करता है साथ–ही–साथ राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष कर बाधाओं को हटाकर भारतीय अर्थव्यवसथा के विकास को प्रोत्साहित करता है और समान कर दर के माध्यम से देश को जोड़ रहा है।

जीएसटी ने ''ई–वे बिल'' को पेश कर वेबिल के एक राष्ट्र प्रणाली को भी लाया है। इस प्रणाली के द्वारा, निर्माता, व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टरों को समान पोर्टल के द्वारा लाभ मिला है जहां ई–वे बिल निकाले जा सकते हैं एवं वस्तुओं के उत्पत्ति स्थान से गंतव्य स्थान तक जाने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को इसकी दृश्यता प्रदान करता है। कर प्राधिकरण को भी सहूलियत है क्योंकि यह चेक–पोस्ट पर समय को कम करता है और कर चोरी को रोकने में भी मदद करता है।

मां

राम जीवन प्रसाद
प्रबंधक

मां की महानता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। एक मां ही है जो अपने औलादों के लिए हर कष्ट हंसते–हंसते सह लेती है और उफ्फ तक नहीं करती है। मेरी यह कहानी उसी मां को समर्पित है।

एक अधेड़ उम्र की महिला अपने दो छोटे–छोटे बच्चों को लेकर चल रही थी तथा यही सोच रही थी कि जिन्दगी का सफर कैसे बढ़ेगा। कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी उन्हें आगे बढ़ाएगी। क्योंकि न तो रहने के लिए सर पर छत है ना ही आय का कोई स्त्रोत। चलते–चलते वह शहर के बाहर बसी बस्ती के पास पहुंच जाती है। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला को देखता है तो उसे अपने पास बैठा कर पानी पिलाता है तथा पूछता है कि उसे क्या दिक्कत है। जब वह मां अपनी आप बीती उस बुजुर्ग को सुनाती है तो उस बुजुर्ग के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह उस महिला को वहीं रहने के लिए कहता हैं जब काम करने की बात आई तो वहीं पर रहने वाली महिलाओं ने कहा कि हम यहां घरों में झाड़ू–पोछा का काम करते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। यह बात सुनकर महिला के आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दोनों छोटे–छोटे बच्चों को देखकर सोचने लगी कि अब मैं भी काम करूंगी तथा अपने बच्चों का भविष्य सवारूंगी।

अगले ही दिन में वह काम पर जाने लगती है। जब उसके पास पैसे आते हैं तो वह अपने बच्चों को पास के ही सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देती है। बच्चे पढ़ने लगते है। सब कुछ सही जा रहा होता है तभी एक दिन सरकारी विभाग अपने पूरे दस्ते के साथ उस बस्ती को उखाड़ने के लिए आते हैं। लोगों के विरोध करने के बावजूद बस्ती को उखाड़ कर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सिर से दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जो सपने अपने बच्चों के लिए देखे वो सब टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अपने बच्चों को देखकर मां को फिर से हिम्मत जाग उठी तथा उसने प्रण किया कि चाहे जितनी मुश्किलें आए वह अपने बच्चों के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करेगी तथा उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएगी। अगले दिन उसने उसी जगह पर फिर से ईंटों को जोड़–जोड़ कर घर बनाया। काम पे जाने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी। कहते है न कि भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कोशिश करते हैं।

मां की मेहनत रंग लाई तथा एक बेटा डॉक्टर तो दूसरा उच्च अधिकारी बना। दोनों ने बाद में अपने मां की खूब सेवा की। क्योंकि अगर मां ने कठोर परिश्रम कर उसे पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो उस पोजीशन पर कभी नहीं पहुंच पाते जहां वो आज हैं।

गरीबों को आवास उपलब्ध कराना देश की प्राथमिकता

नितिन अग्रवाल
उप प्रबंधक

कहा जाता है कि आदमी की मौलिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा व मकान होती हैं। जीवन भर एक आदमी इन चीजों को जोड़ने में लगा रहता है। पर गहनता से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मकान तैयार करने में होती है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति तंग है तो ये काम एक चुनौती से कम नहीं। मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति को देखते हुए निम्न पंक्तियां बरबस मुख पर आ रही हैं–

> "एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में,
> आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढ़ता है।"

अब बताइए जब आम आदमी की ये दशा है तो गरीबों की क्या कल्पना की जाए। क्या उन्हें आवास का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या खुला आसमान और फैली धरती ही उनके घरों की चारदीवारी हैं? नहीं, उन्हें भी सम्मानपूर्वक रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे नागरिकों को होता है। यह कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि दूसरे के मकान बनाने वाले मजदूर को अपनी पूरी जिंदगी एक झोपड़ी में गुजारनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना घर जुटाने की पूंजी ही नही जुड़

पाती है। बामुश्किल वह दो जून की रोटी चला पाता है। गरीबों को आवास का अधिकार दिलाने के लिए आज एक सुचारू आवास नीति की परम आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आवास नीति में क्या घटक रखें जाए ताकि गरीबों के लिए आवास एक वास्तविकता बन जाए। सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि गरीबों की आवश्यकता और उनकी क्षमता क्या है। अगर आवश्यकता की बात की जाए तो एक से दो कमरे का मकान उनके लिए पर्याप्त है बशर्ते मकान खुला व साफ सुथरी जगह निर्मित हो।

आज के परिवेश में उपरोक्त मकान की लागत भी गरीबों की पहुंच से काफी परे है। वो बेचारे तो जैसे–तैसे परिवार को दो

रोटी खिला दें तो अपने को धन्य मानते हैं। ऐसे में कर्ज लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। अतएव आवास नीति का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस प्रकार से गरीबों को सुलभ ऋण पहुंचाया जाए। निरक्षरता सबसे बड़ी बाधा के रूप में हमेशा गरीबों का साथ देती है। ऐसे में आवास नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऋण देने वाली संस्थाएं गरीबों के घर–घर तक पहुंच कर उन्हें शिक्षित करें और ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए बैंकिंग अधिकारियों को अपनी मानसिकता और आचरण में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग बैंक परिसर में अपने आप यदि आते हैं तब ही उनके बारे में कुछ सोचेंगे। आज जरूरत है कि अधिकारियों को स्वतः टीम बनाकर गरीबी वाले इलाकों में जाना चाहिए जिससे की गरीबों को पता चले कि वो भी ऋण के माध्यम से आवास ले सकते हैं।

आज महंगाई बढ़ती जा रही है। सभी चीजों पर इसका असर दिखता है। आवास भी महंगाई की चरम सीमा पर हैं। ऐसे में

आवास नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि गरीब अपना लिया हुआ कर्ज सफलता पूर्वक चुका सकें। इसे आसान करने के लिए कर्ज की दरों में कुछ छूट देनी पड़ेगी, ताकि ब्याज की दरों का बोझ गरीबों पर कम किया जा सके। इसके अलावा आवास के मूल्य से 90 प्रतिशत तक ऋण मिले ताकि शेष भाग पर उन्हें और कहीं हाथ पैर मारने की आवश्यकता न पड़े। कर्ज चुकाने की समय सीमा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मासिक किस्तों के बोझ को कम किया जा सके। बैंकों की दृष्टि में कर्ज हेतु सबसे जरूरी चीज जो कि एक देनदार के सामने आती है वो होती है कर्जदार की साख। लेकिन यह सोच का विषय है कि क्या बेचारे गरीब की साख पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होगा। मार्टगेज में देने के लिए उनके पास क्या हो सकता है। अब ऐसे में कौन सा बैंक अपना पैसा जोख़िम

में लगाएगा। बैंक चाहता है कि उसका अशोध्य ऋण कम से कम हो और इस लक्ष्य को पाने के लिए वो तमाम केवाईसी और गारंटी/मार्टगेज की आड़ लेकर गरीबों को कर्ज देने से बचा रहता है। ऐसे में आवास नीति में इन बातों को दूर करने की बात जरूर शामिल होनी चाहिए। मैं यह नही कहता कि बैंक आँख बंद करके पैसा बांटें। पर गरीबों के दृष्टिकोण से एक विवेकपूर्ण और संवेदनशील आवास नीति की जरूरत है। आख़िर साहूकार भी तो गरीबों को कर्ज देते हैं, पर क्या सरकारी बैंक ऋण जोखिम, अशोध्य ऋण एवं अधिक उधारी के बारे में सोचकर गरीब व निर्धनों को साहूकारों के चगुंल में फंसे रहने देगी ताकि वे उनका खून चूस सकें। जब साहूकार उनकी साख़ नहीं देखता और मनमानी दर पर उन्हें ऋण दे देता है तो क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता कि वो आगे आये और उन्हें अपनाए। सरकारें एवं प्रशासन तंत्र साहूकारों से तो कहीं ज्यादा ताक़तवर होता है। सरकार एक ऐसी आवास नीति बनाए जो काग़जी तौर पर समृद्ध न होकर वास्तविक रूप में प्रभावी हो।

सपनों का शहर

मनोज कुमार
उप प्रबंधक

राहुल कसबगंज, उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे में रहने वाला एक मामूली किसान का बेटा था। उसके पिता परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। तीन भाईयों और दो बहनों में राहुल सबसे छोटा लड़का था। अपने भाई–बहनों में वह सबसे छोटा एवं लाड़ला था। हालांकि पिता ने उसके खाने पिने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु गरीबी के कारण वह सिर्फ पांचवी तक पढ़ा था। पिता का सहारा बनने के लिए राहुल ने पास के ही कारखाने में काम शुरू किया। परंतु उसके सपने में शहर जाके काम करना का हमेशा से ही मन रहा। एक दिन जब दोपहर में राहुल खाना खाने घर आ रहा था तो उसे अपने बचपन का मित्र मोहन नज़र आया। उसे देख राहुल फूला न समाया। मोहन ने उसे बताया कि अब वह शहर में ट्रक चलाने का काम करता है जिसमें इमारतें बनाने का सामान जाता है। उसने राहुल को बताया कि उसे अपने साथ एक हेल्पर की जरूरत है। यह सुनते ही राहुल को लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है। बस फिर क्या था, निकल गया राहुल अपने सपने की तरफ।

राहुल, मोहन सबसे पहले नोएडा पहुंचे, जहां की इमारतों में उन्हें सामान पहुंचाना था। वहां का माहौल देखा तो जैसे राहुल मुग्ध हो गया। उसने ऐसी इमारतें कभी नहीं देखी थी। एक समय के लिए तो वह कुछ नहीं बोल पाया। अब उसका समय सिर्फ ट्रक में बीतता था। अब वही उसका घर था। वह वहीं खाना खाता, रहता एवं नहाता था। वह 24 घंटों में 18 घंटों हमेशा काम पर रहता था। न खाने का समय, न सोने का समय। धीरे–धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और घर की याद सताने लगी। एक दिन वह इतना बीमार हो गया कि एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

अब राहुल को समझ आया कि शहरों का सपना सिर्फ दिखावा है। इतनी चमक सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। वापस गांव आकर राहुल को अद्भुत अनुभूति हुई। उसका परिवार भी यह सोच के बहुत खुश हुआ की चलो सुबह का भूला शाम को वापस आ गया है।

पीपीएफ बचत का एक पारंपरिक तरीका

उत्सव
सहायक प्रबंधक

पीपीएफ या लोक भविष्य निधि योजना, 1968 एक निश्चित आय साधन है। यह योजना निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है, खासतौर पर जो निश्चित रिटर्न चाहते हैं। कुछ कारण है जिसके चलते पीपीएफ इसके समानांतर अन्य निश्चित आय साधन की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। पीपीएफ में अधिक ब्याज दर के साथ–साथ बैंक के सावधि जमा और राष्ट्रिक गारंटी मिलता है। पीपीएफ रिटर्न ऑफर करता है जोकि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पीपीएफ खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे निवेशक को निवेश के समय ध्यान में रखना चाहिए, जो निम्न प्रकार से हैं:

- नाबालिग की ओर से खाता खोलने के अलावा एक व्यक्ति का केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है।
- पीपीएफ खाते में न्यूनतम प्रतिवर्ष 500 रू. और अधिकतम 1,50,000/– रू. जमा किया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा अभिभावक के तौर पर खोले गए नाबालिग के खाते के साथ प्रतिवर्ष अधिकतम केवल 1.50 लाख रू. ही जमा किया जा सकता है।
- पीपीएफ खाते में एकमुश्त या किस्त में पैसा जमा किया जा सकता है। एक महीने में एक से अधिक जमा तो किया जा सकता है लेकिन एक वित्त वर्ष में केवल 12 किस्त ही जमा की जा सकती है।
- ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। ब्याज की गणना किसी महीने की 5 तारीख से उस महीने की अंतिम तारीख के बीच जो न्यूनतम राशि होती है उसी के आधार पर की जाती है। ब्याज की दर तिमाही आधार पर संशोधित की जाती है।
- जिस वर्ष खाता खोला जाता है उस वर्ष से 15 वर्ष के भीतर पीपीएफ खाता परिपक्व हो जाता है।
- परिपक्वता के बाद एक व्यक्ति हर बार 5 साल के खंड में पीपीएफ खाते को बढ़ा सकता है।
- पीपीएफ में जमा की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र होता है और पीपीएफ पर अर्जित ब्याज आय कर से छूट प्राप्त होता है।
- पीपीएफ खाते को बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है।
- पीपीएफ पर ऋण सुविधा तीसरे से छठे वित्त वर्ष के बीच प्राप्त किया जा सकता है।
- छह वित्त वर्ष पूरा होने पर ग्राहक प्रत्येक वर्ष एक आहरण कर सकता है। लगातार 4 वर्ष पूरा होने के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत या तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर शेष का 50 प्रतिशत राशि आहरित की जा सकती है।

यदि कोई निवेशक पीपीएफ के इन सभी विशेषताओं से अवगत है तो वह प्रत्येक वर्ष अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश कर सकता है ताकि 15 वर्ष के बाद वह एक बढ़ी मात्रा में कर–मुक्त एकमुश्त राशि अर्जित कर सके।

बैंक के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियाँ

बैंक के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियाँ

जब करना हो अन्य राज्य में सम्पत्ति का सौदा

शरत भट्टाचार्य
सहायक प्रबंधक

किसी भी तरह की सम्पत्ति की खरीद एक बड़ा फैसला होता है परंतु जब बात मकान खरीदने की हो तो हमारी भावनाएं तथा परिवार भी उससे जुड़ा होता है। इस वजह से मकान की खरीद के हर पहलू पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

अगर मकान किसी अन्य राज्य में खरीद रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त बातों को भी ध्यान में रखना और भी चुनौतीपूर्ण होता है। भारत एक संघ शासित राष्ट्र है यानी यहां केन्द्र तथा राज्य में शक्तियां विभाजित हैं।

किसी भी राज्य की विधानसभा को संविधान की राज्य सूची में दर्ज विषयों के संबंध में अपने राज्य के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार है। इनमें सम्पत्तियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। सम्पत्ति के दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी की दरें, लैंड रैवेन्यू असैसमैंट, लैंड रिकॉर्ड्स का मैंटीनैंस, मकान मालिक तथा किराएदार के संबंध, जमीन का ट्रांसफर आदि कुछ मामले हैं जो राज्य सूची में शामिल हैं और इनके संबंध में नियम व कानून तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है।

ऐसे में विभिन्न राज्य सम्पत्ति की खरीद–बिक्री के संबंध में अपने–अपने नियम तथा प्रक्रियाएं तय करते हैं। वहां रियल एस्टेट पर नियंत्रण के लिए अलग कायदे–कानून हो सकते हैं या इनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों के संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अलग नियम भी हो सकते हैं।

रेरा का असर

रेरा कानून लागू होने के बाद खरीदारों के हितों की सुरक्षा अब पहले से अधिक पक्की हो गई है। हालांकि, रेरा के तहत भी राज्यों को अपनी ओर से कुछ नियम तय करने के लिए अपनी ओर से विभिन्न कायदे तय कर सकते हैं यानी रेरा के बाद भी राज्य में सम्पत्ति खरीद में अलग नियमों का अनुपालन आवश्यक हो सकता है। रेरा के तहत सभी राज्य सरकारों के पास अपने राज्य में रियल एस्टेट नियामक को ठीक से लागू करने के लिए अलग से नियम तय करने की छूट है।

ऐसे में जरूरी नहीं है कि जिस अन्य राज्य में आप सम्पत्ति खरीदना चाहते हैं वहां पर सम्पत्ति खरीद के लिए जरूरी नियम अलग हो सकते हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा।

यदि आप भी अन्य राज्य में सम्पत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो निम्न बातों पर अवश्य ध्यान दें:

जिम्मेदारी

कानूनन माना जाता है कि कुछ खरीदने वाले को सजग तथा सचेत रहना चाहिए। इसलिए सम्पत्ति खरीदने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वह सम्पत्ति के संबंध में अच्छे से पड़ताल करें।

उदाहरण के लिए यदि दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति मुम्बई में अथवा मुम्बई में रहने वाला दिल्ली में सम्पत्ति खरीदना चाहता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी स्थानीय नियमों का पालन किया गया है। आमतौर पर दूसरे राज्य में सम्पत्ति खरीदने वाले लोग अक्सर स्थानीय नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि सम्पत्ति की खरीद करने के लिए सम्पत्ति मामलों के जानकार किसी स्थानीय वकील की सेवा ली जाए।

स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

हर राज्य में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दर तथा नियम अलग हो सकते हैं। जिस राज्य में सम्पत्ति खरीद रहे हैं वहां स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस के आकलन की प्रक्रिया तथा दरों के बारे में पहले ही जानकारी जुटानी चाहिए।

अलग नियम तथा प्रक्रियाओं की जानकारी

स्टैम्प ड्यूटी का आकलन करने के लिए कई राज्य दस्तावेजों की पड़ताल की प्रक्रिया अपनाते हैं। यदि वास्तविक ड्यूटी से

कम ड्यूटी अदा की जाती है तो वे दस्तावेजों की मान्यता रद्द कर देते हैं और अगर, गलती से ज्यादा ड्यूटी अदा कर दी जाए तो इसका रिफंड लेने की प्रक्रिया बेहद कठिन साबित हो सकती है। कई राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी एक फिकस्ड रकम होती है तो कुछ में यह सम्पत्ति के मूल्य का कुछ प्रतिशत हो सकती है।

सब–रजिस्ट्रार तथा अदालतों में पड़ताल

सम्पत्ति की खरीद या बिक्री के वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह सुनिश्चित करना होता है कि सम्पत्ति पर स्वामित्व अधिकार स्पष्ट हो तथा उसे लेकर किसी तरह का विवाद न हो। उस पर कोई बकाया भी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सारी जानकारी उस सब–रजिस्ट्रार के दफ्तर से मिल सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति पड़ती है। इस संबंध में सम्पत्ति को लेकर किसी विवाद के बारे में पता करने के लिए स्थानीय तथा हाई कोर्ट के अलावा कंज्यूमर कोर्ट में भी पूछताछ की जा सकती है।

टाइटल डॉक्यूमेंट की सर्टीफाइड कॉपी प्राप्त करें

रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार अचल सम्पत्ति से जुड़े दस्तावेज को पंजीकरण के लिए उस सब–रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति स्थित हो। एक्ट के तहत ही सब–रजिस्ट्रार के दफ्तर में सम्पत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से सम्भाल कर रखा जाता है। एक्ट के अनुसार तय फीस अदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के देखने के लिए हर वक्त यह रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

आई.टी. विभाग में पड़ताल

इसके अलावा आयकर विभाग के पास भी सम्पत्ति के संबंध में पड़ताल की जा सकती है। यहां पता लगाया जा सकता है कि जो सम्पत्ति आप खरीदने जा रहे हैं इसके संबंध में विभाग की ओर से कोई नोटिस तो जारी नहीं किया गया है या उसे लेकर कोई कार्रवाई तो जारी नहीं है।

सर्पासन

राजकुमार नेगी
उप प्रबंधक

किसी समतल और स्वच्छ स्थान पर कंबल या चटाई बिछा लें। अब पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक–दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवें ऊपर की ओर व पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में फर्श पर टिका कर रखें। अब गहरी सांस लेकर सिर को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को ऊपर उठाएं, सीने को और (छाती) फिर पेट को धीरे–धीरे ऊपर उठाएं। सिर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठना चाहिए तथा नाभि के नीचे से पैरों की अंगुलियों तक का भाग जमीन से समान रूप से सटा रहना चाहिए। गर्दन को तानते हुए सिर को धीरे–धीरे अधिक से अधिक पीछे की ओर उठाने की कोशिश करें। अपनी आंखें ऊपर की ओर रखें। यह आसन पूरा तब होगा जब आप के शरीर का कमर से ऊपर का भाग सिर, गर्दन और छाती सांप के फन के समान ऊंचा ऊठ जाएंगे। पीठ पर नीचे की ओर नितंब और कमर के जोड़ पर अधिक खिंचाव होने लगेगा। ऐसी अवस्था में आकाश की ओर देखते हुए कुछ सेकंड तक सांस रोकें। अगर आप सांस न रोक सकें तो सांस सामान्य रूप से लें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पहले नाभि के ऊपर का भाग, फिर छाती को और माथे को जमीन पर टिकाएं तथा बाएं गाल को जमीन पर लगाते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ देर रुकें और पुनः इस क्रिया को करें।

लाभ

इस आसन से रीढ़ की हड्डी का तनाव दूर हो जाता है। सर्पासन कमर को पतली, सुडौल व आकर्षक बनाता है। यह आसन सीना चौड़ा करता है, कद लम्बा करता है और बढ़े हुए पेट को कम करके मोटापे को दूर करता है।

सावधानियां

हर्निया के रोगी तथा गर्भवती स्त्रियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेट में घाव होने पर, अंडकोष वृद्धि में, अल्सर होने पर तथा कोलाइटिस वाले रोगियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए।

प्रस्तुति एवं संकलन

देश में आवास समस्या समाधान के उपाय

आशीष सिंह
सहायक प्रबंधक

प्रस्तावना

आवास हर मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में गिना जाता है तथा आवास पाने हेतु मनुष्य अपने जीवन की सारी पूंजी भी निवेश करने के लिए तैयार हो जाते है। आज जब भारत की आजादी के '70' साल हो गए हैं, लेकिन आवास की समस्या का हमारे देश में कोई भी ठोस निवारण नहीं हो पाया है। भारत जैसे बड़े देश में आवास की जरूरतें भोगौलिक क्षेत्रों के साथ बदलती रहती है। जहां शहरों में दो कमरे के घरों के साथ भी काम चल जाता है वहीं ग्रामीण इलाकों में बड़े घरों की जरूरत पड़ती है। बिहार और असम जैसे राज्यों में घरों का ढ़ाँचा बाढ़ जैसी कुदरती आपदा को झेलने योग्य होने चाहिए। इसके अलावा आज हमारे देश में 'किराए पर घर' उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी नीति नहीं की गई है। किराए पर घर उपलबध करवाने से हमारे देश के गरीब श्रेणी के लोगों को छत तथा रहने की जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाने से भी लोगों के लिए उनके अपने घर का सपना भी साकार कर सकते हैं।

चिन्तानात्मक विकास

आजादी के बाद भारत सरकार के सक्षम कई चुनौतियां थी। आवास तथा सबके लिए घर भी इन ही चुनौतियों में से एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन सरकार का ध्यान कृषि तथा औद्योगिक तरक्की की तरफ ज्यादा था जिसके कारण आवास जैसे महत्वपूर्ण विषय को ध्यान नहीं मिल पाया। लेकिन कई वर्षों के बाद 1980 के दशक में सरकार का ध्यान इस क्षेत्र पर फिर से पड़ा। 1988 में शहरी विकास हेतु सरकार ने अपनी नीति बनाई तथा आवास वित्त कंपनियों का भी जन्म हुआ। शहरी विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने इन्दिरा आवास योजना तथा राजीव आवास योजना में बढ़–चढ़ के भाग लिया। लेकिन इन प्रयत्नों के बाद भी हमारी सरकार आवास की समस्या का समाधान निकालने में सफल नहीं हो पाई है। इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी सरकारी योजनाएं मध्यम वर्गीय लोगों को प्रोत्साहन देती है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को यदि हमें घर उपलब्ध करवाना हो तो हमें किराए पर आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बढ़ता पलायन भी हमें रोकना पड़े। आज पलायन की वजह से कई लोगों को शहरों में झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अतः शहरों में आवास की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकारों को 'रेन्टल कूपन' गरीबों को उपलब्ध करना चाहिए। शहरों में 'फ्लोर–स्पेस रेश्यो' को कम करने से भी हम कम जगहों में ज्यादा घर बना पाएंगे जिसकी मदद से हम शहरी इलाकों में आवास की समस्या का समाधान कर पाएंगे।

ग्रामीण इलाकों में हमें ऐसे घरों के ढ़ाँचे को बढ़ावा देना चाहिए जो कि प्राकृतिक अपादाओं को झेलने में सक्षम हो सके। असम के 'इकोरा' स्टाईल घर बाड़ा जैसे प्राकृतिक आपदा को झेलने में सफल हो पाए है। यह घर ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाए जाते है जिसकी वजह से इन पर बाढ़ का ज्यादा असर नहीं होता है। यदि हम लोगों को पक्का घर उपलब्ध करवाने में सफल हो जाते है तो हम काफी हद तक इस देश की स्वच्छता की समस्या का भी समाधान निकाल पाएगे।

उपसंहार

अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि आवास की समस्या का निवारण हमारे देश में तब ही निकल पाएगा यदि हमारी सरकार की नीति सबसे गरीब श्रेणी के लोगों की ओर अपना ध्यान देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना इस संदर्भ में एक सार्थक कदम है जिसके माध्यम से हमारी सरकार 'सबके लिए घर' का लक्ष्य 2020 तक प्रापत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि हम आवास को शिक्षा की तरह एक कानूनी अधिकार घोषित करते हैं, तो यह भी कदम हमारे देश में आवास की समस्या का निवारण की दिशा में एक सार्थक कदम होगा।

अंधकार से जूझना है

हजारी प्रसाद द्विवेदी
निधनः 19 मई, 1979

न जाने कब से मनुष्य के अंतरतर से 'दीन रट' निकलती रहीः मैं अंधकार से घिर गया हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो–'तमसो मा ज्योतिर्गमय।' परंतु यह पुकार शायद सुनी नहीं गई–'होत न श्याम सहाय।' प्रकाश और अंधकार की आंखमिचौली चलती ही रही, चलती ही रहेगी। यह तो विधि विधान है। कौन टाल सकता है इसे।

लेकिन मनुष्य के अंतर्यामी निष्क्रिय नहीं है। वे थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं। वे अधीर भी नहीं होते। वैज्ञानिक का विश्वास है कि अनंत रूपों में विकसित होते–होते वे मनुष्य के विवेक रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं। करोड़ों वर्ष लगे हैं इस रूप में प्रकट होने में। उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। स्पर्शेन्द्रिय से स्वादेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय की ओर और फिर चक्षुरिन्द्रिय की ओर अपने आपको अभिव्यक्त करते हुए मन और बुद्धि के रूप में आविर्भूत हुए हैं और भी न जाने किन रूपों में अग्रसर हों। वैज्ञानिक को 'अंतर्यामी' शब्द पसंद नहीं है। कदाचित वह प्राणशक्ति कहना पसंद करे। नाम का क्या झगड़ा है?

जीव का काम पुराकाल में स्पर्श से चल जाता था, बाद में उसने घ्राणशक्ति पाई। वह दूर–दूर की चीजों का अंदाजा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्न सब कुछ अंधकार था। अंतर्यामी रुके नहीं। घ्राण का जगत, फिर स्वाद का जगत, फिर रूप का जगत, फिर शब्द–शब्द का संसार। एक पर एक नए जगत उद्घाटित होते गए। अंधकार से प्रकाश और भी, और भी। यहीं तक क्या अंत हैं? कौन बताएगा? कातर पुकार अब भी जारी है– 'तसमो मा ज्योतिर्गमय'। न जाने कितने ज्योतिलोक उद्घाटित होने वाले हैं।

कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि मनुष्य से भिन्न अवर सृष्टि में भी इंद्रियगृहीत बिंब किसी–न–किसी रूप में रहते हैं, पर वहां दो बातों की कमी है। इन बिंबों को विविक्त करने की शक्ति और विविक्तीकृत बिंबों को अपनी इच्छा से–संकल्प पूर्वक–नए सिरे से नए प्रसार–विस्तार या परम्युटेशन कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा नई अर्थात प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से भिन्न सारी चीज बनाने की क्षमता। शब्द के बिंबों के विविक्तीकरण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं, रूप बिंबों के विविक्तीकरण के फल रंग, उच्चावचता, ह्स्व–दीर्घ वर्त्तुल आदि बिंब और फिर संकल्पशक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज–सज्जा आदि। इसी तरह और भी इंद्रियगृहीत बिंबों का विविक्तीकरण और संकल्प संयोजन से मानव सृष्ट सहस्रो नई चीजें। यह कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास के कारण इनका महत्व भुला दिया जाता है। पर भुलाना चाहिए नहीं। मनुष्य कुछ भुलक्कड़ हो गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोष भी नहीं है। न भूले तो जीना ही दूभर हो जाए। मगर ऐसी बातों का भूलना जरूर बुरा है, जो उसे जीने की शक्ति देती हैं, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देती हैं।

किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दीये, रुई की बाती, चकमक की चिनगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा। अंधकार को जीता जा सकता है। दिया जलाया जा सकता है। घने अंधकार में डूबी धरती को आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई। तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है, पर वह आदिम प्रयास क्या भूलने की चीज है? वह मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल था।

दीवाली याद दिला जाती है उस ज्ञानलोक के अभिनव अंकुर की, जिसने मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था–अंधकार से जूझना है, विघ्न–बाधाओं की उपेक्षा करके, संकटों का सामना करके।

इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग कहते सुने जाते हैं–अंधकार महाबलवान है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूं, यह क्या संकल्प शक्ति का पराभव है? क्या मनुष्यता की अवमानना है? दीवाली आकर कह जाती है, अंधकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। मृगमरीचिका में मत भटको। अंधकार के सैकड़ों परत हैं। उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं।

अपकमिंग लोकेशन्स

पीयूष पाण्डेय
क्षेत्रीय प्रबंधक

हमारी यह कोशिश होती है कि ऐसी जगह पर घर लिए जाए जहां पहले से बसावट हो। इसके पीछे सुरक्षा, सुगमता, सार्वजनिक वाहनों की पहुंच आदि कारण होते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर संपत्ति की कीमत आसमान छूती होती हैं। ऐसे में आजकल अपकमिंग लोकेशन का प्रचलन बढ़ रहा है।

अपकमिंग लोकेशन्स शब्द का इस्तेमाल सम्पत्तियों के विज्ञापनों में अक्सर होता है। इनसे तात्पर्य ऐसे इलाकों से है जिनके बारे में कम ही लोग जानते हों परंतु वहां आने वाले वक्त में बढ़िया रियल एस्टेट बाजार विकसित होने की सम्भावना जताई जाती है। दूसरे शब्दों में ये वे इलाके हैं, जहां 'प्रॉपर्टी बूम' आने वाला होता है।

ऐसी लोकेशन्स पर अचानक अनेक परियोजनाएं लांच होने लगती हैं तथा उन्हें सम्पत्ति खरीदने के लिए उत्तम स्थल बताया जाने लगता है क्योंकि एक तो उनकी खोज नई–नई होती है इसलिए स्थापित लोकेशन्स की तुलना में वहां सम्पत्तियों के दाम कम होते हैं तथा दूसरी ओर वहां सम्पत्तियों के दाम भविष्य में बढ़ने की सम्भावना बनी रहती है जिससे अच्छा मुनाफा होता है।

ऐसी किसी भी 'अपकमिंग लोकेशन्स' पर रहने के लिए या निवेश के मकसद से सम्पत्ति खरीदते समय निम्न बातों पर ध्यान दें–

क्या आपकी सम्पत्ति सही क्षेत्र में है?

अक्सर 'अपकमिंग लोकेशन्स' शहरों के बाहरी हिस्सों में होती है। ये किसी गांव की पंचायत या शहर की म्युनिसिपल कार्पोरेशन के तहत हो सकती है। टाऊन या कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अक्सर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न इलाकों को औद्योगिक, आवासीय, ग्रीन ज़ोन या सामाजिक संरचनाओं के निर्माण के लिए आरक्षित कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आवासीय परियोजना की लोकेशन स्वीकृत वर्ग वाले इलाके में ही हो यानी उक्त इलाके में आवासीय संरचनाएं निर्मित करने की स्वीकृति होनी चाहिए। किसी अन्य ज़ोन में ऐसा निर्माण करना गैर–कानूनी होता है।

नागरिक सुविधाओं की स्थिति

अगला कदम इस बात का पता लगाना होगा कि सीवेज की निकासी, पेयजल की आपूर्ति तथा बिजली के कनेक्शन जैसी सुविधाएं क्या परियोजना को उपलब्ध करवाई जाएंगी? बड़ी परियोजनाओं में बिल्डरों को इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन तैयार करने पड़ते हैं जबकि अन्य मामलों में सब–स्टेशनों से बिजली की तारें घरों तक लानी पड़ती हैं। साथ ही राज्य के बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने जैसे कार्यों पर बिल्डर को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इनकी वजह से परियोजना को पूरा होने में देरी भी हो सकती है। हालांकि यदि ये सेवाएं पहले ही करीबी परियोजनाओं में उपलब्ध हैं तो डिवेलपर के लिए इन सेवाओं को प्राप्त करना कहीं अधिक आसान हो जाता है।

सड़कों की स्थिति

संपर्क सड़कें, मुख्य सड़कें तथा राज्य एवं राष्ट्रीय हाईवे तक आसान पहुंच जरूरी है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तथा बस स्टैंड से दूरी का अनुमान भी लगा लें। इलाके में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं जैसे मैट्रो स्टेशन, फ्लाई–ओवर आदि के निर्माण के बारे में की गई घोषणाओं के बारे में भी स्थानीय लोगों से या इंटरनेट पर पता कर सकते हैं। इनसे आपको इलाके में सड़क मार्गों की स्थिति तथा परिवहन के साधनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

आवश्यक सुविधाओं की स्थिति

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन किसी भी परिवार की मौलिक जरूरतें होती हैं। अच्छे स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग काम्पलेक्स तथा मॉल्स के करीबी इलाकों में होने से जीवन सुगम हो जाता है। पता करें कि ये सेवाएं चालू हैं या आपके वहां रहने लगने तक चालू की जाएंगी या नहीं?

विरल आबादी वाला इलाका

आप ऐसे इलाके में रहना नहीं चाहेंगे जहां अभी बहुत कम

लोग रहते हैं इसलिए करीबी आवासीय परियोजनाओं में रहने वालों की संख्या के बारे में पता करें। जितने अधिक लोग होंगे, सामाजिक संरचनाओं का विकास भी उतनी ही तेजी से होगा। जितने ज्यादा लोग रहेंगे, इलाके में तरक्की भी उतनी तेजी से होगी तथा वहां सब्जियां, दूध जैसी आम जरूरत की चीजों से लेकर श्रमिक आदि भी उतनी ही सुगमता से उपलब्ध होंगे।

विवाद तो नहीं

जटिल भूमि अधिग्रहण कानून तथा रियल एस्टेट सेक्टर में अपारदर्शिता की वजह से ग्राहकों के अनिश्चित घटनाओं से नुकसान उठाने का जोखिम कई गुना बढ़ा रहता है। हाल के वर्षों में कई परियोजनाओं से जुड़े मामले इसका उदाहरण हैं। ऐसे में स्थानीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बहुत काम आती है। इसके लिए स्थानीय लोगों के संपर्क में रहना तथा इलाके में सम्पत्ति खरीदने वाले अन्य लोगों के साथ मश्वरा आवश्यक है। इससे इलाके में पैदा हो सकने वाली किसी भी समस्या या विवाद के बारे में पहले ही आभास लगाया जा सकता है।

व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखें

देश की अर्थव्यवस्था में विकास के साथ–साथ यहां मूलभूत संरचनाओं के निर्माण में भी तेजी आई है। अनेक नए उद्योग शुरू हो रहे है तथा कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं भी चालू हुई या होने जा रही हैं।

देश में मुम्बई–दिल्ली इंडस्ट्रियल कोरीडोर जैसी वृहद् परियोजनाओं की घोषणा भी हुई है जिससे इसके मार्ग में पड़ने वाले कस्बों या छोटे शहरों के रियल एस्टेट बाजारों के जोर पकड़ने की पूरी सम्भावनाएं हैं यानी इन कस्बों व छोटे शहरों ने' अपकमिंग लोकेशन्स' का दर्जा हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं वहां नए शहर बसने भी शुरू हो रहे है। ऐसी 'अपकमिंग लोकेशन्स' पर नजर रख कर सही एवं सुरक्षित इलाकों में निवेश का लाभ उठाया जा सकता है।

पदोन्नति–बधाई

सहायक प्रबंधक (स्केल I) से उप प्रबंधक (स्केल II) में पदोन्नत अधिकारीगण की सूची

- सुश्री वर्षा जैन
- सुश्री नेहा पंथरी
- सुश्री अपराजिता जैन
- श्री रीतम भट्टाचार्य
- श्री सिद्दीक खान
- श्री नित्यानंद वी.
- सुश्री श्रीमयी देववर्मा
- सुश्री प्रमा बासु
- श्री अक्षय कुमार
- श्री दावर हुसैन
- श्री मनोज कुमार

किसना

श्रीमती उमा सोमदेवे
पत्नी, डॉ. जी.एन. सोमदेवे, से.नि. उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक

जाति एक कैंसर की तरह है। एक बार उसने किसी आरक्षित वर्ग में जन्म लिया तो वह उस जन्म में आरक्षित वर्ग की जाति के आधार पर आरक्षण लाभ लेने का अधिकारी है। यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। जातिगत आरक्षण के तो यही सिद्धांत हैं। वैसे किसना का विचार है कि आरक्षित वर्ग का जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो उसने स्वेच्छा से आरक्षण नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बच्चों की स्थिति अलग हो सकती है क्योंकि पिता की आर्थिक संपन्नता ज्यादा दिन न टिके। उसके बच्चों की स्थिति बच्चों के विवेक पर निर्भर होगी। विचार अनेक हैं लेकिन आज कि सामाजिक और राजनितिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ों के आरक्षण को छेड़ा जाए या उसे कम किया जाए। एक अन्य विचारों के अनुसार सबको समान अवसर मिले यह कल्पना न्यायोचित है। लेकिन आज

ऐसा ही है सबको समान अवसर है। यह अलग बात है कि वे अवसरों का फायदा उठाते हैं कि नहीं। साहिर साहब ने सही फरमाया है कि ''जिन्दगी भीख में नहीं मिलती, जिन्दगी बढ़कर छिनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छिन पाओ तो कोई बात बने।'' आरक्षण और आरक्षितों की कहानियां अनंत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के आरक्षण से पहले पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सोची थी। उस समय के बड़े नेताओं से इस बात को लेकर ठन गई फिर भी संविधान में प्रावधान तो कर दिया गया क्योंकि बाबा साहब की दृष्टि वंचितों, पीड़ितों और अन्याय ग्रस्त जनता को उनका हक दिलाना था। उन्होंने जो न्यायोचित था वह किया। परिणाम स्पष्ट है आज देश का बड़ा हिस्सा बाबा साहब का ऋणी है। यह स्थिति हजारों वर्ष बदलने वाली नहीं है क्योंकि बाबा साहब अमर हैं। सदा के लिए अमर। क्योंकि हर जाति, समाज, देश में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते। किसना ने बतलाया कि देश में आरक्षण की आग कभी ठंडी नहीं होगी क्योंकि शिक्षित व्यक्ति भी बहकी–बहकी बातें करते हैं। आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए यह अच्छा विचार है। उचित है किंतु जातिगत आधार पर जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है उन्हें छोड़कर अन्य लोगों को निश्चित ही आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलें। मध्य प्रदेश में एक सवर्ण (उच्च श्रेणी सवर्ण) जाति की संघटना ने 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है जबकि उनकी जनसंख्या पूरे भारत में महज 5 प्रतिशत है। कमाल है। आरक्षण का आधार जिसका जितना हिस्सा उतना उसको हिस्सा। केन्द्र में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति को, साढे सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को तथा 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान पिछड़ी जातियों को है। वैसे तो कहा जाता है कि पिछड़ों की संख्या 41 प्रतिशत है मगर वे 27 प्रतिशत में मान गए। ऐसी स्थिति में जिनका प्रतिनिधित्व महज 5 प्रतिशत है वे 50 प्रतिशत की मांग कैसे कर सकते हैं। लेकिन किसना सोचता है कि वे ठीक ही मांग रहे हैं क्योंकि उनका आशय कुछ और है। 15+7.5+27=49.5/ अर्थात जो 51.5 प्रतिशत बचता है शायद उसमें वे 50 प्रतिशत अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इसमें भले ही दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या 51.5 प्रतिशत नहीं बल्कि 100 में से 50 प्रतिशत उन्हें चाहिए और फिर अन्य जातियों को 1.5 प्रतिशत। गणित कुछ समझ नहीं आया। वे वास्तव में क्या चाहते है मगर इतना पक्का है कि वे आंदोलन करने की तैयारी में है। अगर उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण मिला तो फिर जाट आंदोलन की अलख जगाने वालों को 1.5 प्रतिशत में से कुछ प्रतिशत की मांग करना उचित होगा। अन्य जातियाँ जो आरक्षण की मांग समय–समय पर करते रहती है उन्हें क्या मिलेगा? उनके लिए क्या बचेगा? भगवान जाने?

वास्तव में अब यह होना चाहिए कि यह उन लोगों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वे आरक्षित वर्ग से भले ही हो अगर आरक्षण का लाभ न लेना चाहे तो न लें, लेना चाहे तो लें। जब चाहे तब लें, न चाहे न लें। आज लें, कल न लें या आज न ले कल लें। यह बिल्कुल उसके विवेक की बात हो। उसके

हक की बात हो। उसके अधिकार की बात हो। कहते हैं जब फुर्सत होती है तब अनेक बातें याद आती हैं। पुरानी से पुरानी बात। जवानी के दिनों की यादें। मौज–मस्ती, इश्क–विश्क। ठहराव किसी एक पर नहीं होता। चंचल मन कुलांचे मारता है। यह स्थिति कमोवेश सभी की होती है। किसना इससे अछूता न था। कोई नजदीकी रिश्ता न था उस लड़की से परंतु वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ी नजर आती थी। उसके

मौसी का घर किसना के पड़ोस में था। वह कई बार मौसी के घर आती, बार–बार आती। एक दिन किसना की अचानक उस पर आसक्ति हो गई। एक मिनट का समय न लगा बस आंखों–आंखों में बात हो गई। किसना की उम्र उस वक्त 21 साल और उसकी 18 थी। विधिनुसार दोनों शादी लायक। वह लड़की अपने मामा के पास शहर में रहती थी। उसके चारों मामा अपराधिक रिकार्ड के थे तथा नामी अपराधियों में उनकी गिनती होती। उनके जेब से चाकू निकलता तो बिना खून पिए जेल में वापस न जाता। किसना का परिवार अपराधिक नहीं था। अपराधियों से किसना घबरा गया। बात कभी उसके मामाओं तक न पहुंच सकी। सिलसिला 2–3 साल चला। मुलाकात, भेट, पत्र आदि परंतु लंबी बातचीत कभी न हो सकी। यह एक तरफा वाला लगाव नहीं था।

हाल ही में आरक्षण की आग फिर भड़क गई। कभी आरक्षण जाने वाले तो कभी विरोध करने वालों ने हड़ताल की। सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रशासन में घबराहट दौड़ गई। बहुत सी जगह हालात पस्त हो गए। किसना कहता है ये देश में क्या हो रहा है तीन चौथाई लोग एक चौथाई आरक्षितों का विरोध कर रहे हैं। क्या किसी ने जाना है आज भी आरक्षितों का दर्द क्या है? किसी ने देश का वह आदिवासी तथा दलित बहुल हिस्सा देखा है? कितनी खस्ता हालत है। गैर दलित भी आरक्षण मांग रहे है। जिस देश के संपन्न लोग भी आरक्षण मांगे तो वह देश क्या तरक्की कर पाएगा। सबको मालूम है कि आरक्षण संविधान प्रदत्त है। फिर भी विरोध। देश में एक नई बहस होनी चाहिए कि क्यों न टेक्निकल जातियों को विशेष आरक्षण मिलें। जिन्होंने चमड़े के जूते चप्पल बनाने का आविष्कार कर समस्त मानव जाति के पैरों को सुंदर और स्वच्छ समाज बनाकर समाज की सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं? जिन्होंने लकड़ी से फर्नीचर का आविष्कार कर समाज सेवा की वे श्रेष्ठ नहीं? जिन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाकर आविष्कार किया (हमारे पूर्वज खान–पान करने लगे) समाज की सेवा की क्या वे श्रेष्ठ नहीं? जिन्होंने खेती के औजार बनाए वे लोग श्रेष्ठ नहीं? जो लोग साग–सब्जी उगाकर पशु–पालन कर समाज की सेवा करते हैं वे श्रेष्ठ नहीं? जिन्होंने घर इमारत बनाने का आविष्कार किया क्या वे श्रेष्ठ नहीं? रेशम कपास को बुनकर कपड़े सिलने वाले श्रेष्ठ नहीं? शिल्पकार, नौका चलाने वाले, कला संस्कृति का संरक्षण करने वाले तथा थोड़े से गुजारा करने वाले श्रेष्ठ नहीं? भारत टेक्नोलॉजी में इसलिए पीछे हैं क्योंकि यहां टेक्निकल जातियों को कम दर्जे का माना जाता है और नॉन टेक्निकल जातियों को श्रेष्ठ माना जाता है। ओशो कहते थे कि किसी शुद्र कहे

जाने वाले व्यक्ति को कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जिन मंदिरों में उनका अपमान हुआ वहां क्यों जाना। आज भी हिन्दुस्तान को एक क्रांति की आवश्यकता है। आरक्षण जातिगत है धार्मिक नहीं। जाति हटाओ। हिम्मत करो। वर्ण सिस्टम खत्म

करो। सच्चे अनुसूचित जाति–जनजातियों के लोगों की हालात देखो। आदिवासी मूल निवासी बाकी सब बाहर के। यह धरती आदिवासी मूल निवासियों की। आजादी के 68 साल बाद भी हम जाति व्यवस्था खत्म न कर सके बल्कि जातिगत रूढ़ीवादी हो गए। नए–नए जातिगत समीकरण बन गए। नए–नए समाज बन गए। कुछ कट्टर तो कुछ उग्र। देश की यह खतरनाक स्थिति है जिससे देश की शत–प्रतिशत जनता आहत है। क्या यह लोगों को नहीं दिखता। संविधान पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो और लोगों को भी पढ़ाओ। जिसका जितना प्रतिशत उतना उसका हिस्सा होना चाहिए मगर देखो जनसंख्या में 5 प्रतिशत और नौकरियों में पूरा आरक्षण?

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरक्षित वर्ग के लोग अनारक्षित कोटे की सीट नहीं ले सकते भले ही उनका मेरीट जनरल से ज्यादा हो। ठीक है। इसका सीधा सरल उपाय है कि आरक्षित वर्ग के बुद्धिमान बच्चों को अपनी जाति का उल्लेख करने की जरूरत क्या है? वे जनरल में आवेदन करें। खुद को सामान्य माने। इससे दो फायदे होगें। एक तो वे अपने दूसरे आरक्षित भाई के लिए सीट उपलब्ध कराएंगे और दूसरे वे स्वाभिमानपूर्वक जनरल कहलांएगे। यह कोई जरूरी नहीं कि आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित जाति का होने का प्रचार–प्रसार करें।

आरक्षण के पक्ष–विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि दूसरे देशों में आरक्षण नहीं दिया जाता है इसलिए वे देश हमसे ज्यादा प्रगतिशील हैं। दरअसल यह बिल्कुल गलत है। अमेरिका, चीन, जापान में भी आरक्षण है और ईमानदारी से दिया जाता है। बाहरी देशों में आरक्षण को Affirmative Action कहा जाता है। मतलब समाज के वर्ग और नस्लभेद के शिकार लोगों को सामाजिक समता का प्रावधान हो। पाकिस्तान में 5% दलित हैं मगर उन्हें 6% आरक्षण है। अमेरिका में अश्वेतों का बस नौकरी मोशन पिक्चर, धारावाहिक आदि सब में आरक्षण है। अब्राहम लिंकन थे, अश्वेत थे मगर राष्ट्रपति बने। बराक ओबामा जी मुस्लिम ईसाइ रक्त के थे। वे भी गरीब तबके के थे। राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। श्रीलंका में तमिल तथा ईसाई लोगों को आरक्षण है। ये सब विकसित देश हैं। भारत में जातिगत जुल्मों के शिकार काफी लोग हैं। सब लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर भारत क्यों नहीं।

आज आरक्षण की जरूरत सबसे ज्यादा उन बच्चों को है जो लवारिस, निराश्रित, गुमशुदा, यतिम हैं और सरकारी तथा गैर–सरकारी अनाथालयों में रह रहे हैं। उनकी कोई जाति, धर्म, माता–पिता कोई नहीं। समाज में स्वीकार्यता और अपने पैर पर खड़े होने के लिए उन्हें शत–प्रतिशत आरक्षण के दायरे में लाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में कुछ पहल की है इसलिए वहां के मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। सभी राज्यों में ऐसी पहल होनी चाहिए। अनाथालयों में रह रही बालिकाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वे सॉफ्ट टारगेट की श्रेणी में है।

अमेरिका एक सम्पन्न देश है मगर वहां देखो बच्चों की स्कूल की किताब सत्र के अंत में जमा कर ली जाती है और दूसरे सत्र के बच्चों में बांट दी जाती है बिना भेदभाव के। वहां राष्ट्र की उन्नति की खातिर सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हमारे यहां शिक्षा के दलाल कई प्रकार की आवश्यक, अनावश्यक पुस्तकें बच्चों पर थोपकर उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कर रहे हैं तथा पालकों के जेब पर डाका डाल रहे हैं।

बाबा साहब विश्वस्तर के विधि वेत्ता और भारतीय संविधान के निर्माता है। राजनीति, अर्थशास्त्र तथा कानून के विद्वान थे वे। उनके द्वारा लिखे संविधान पर लोगों को भरोसा है। संविधान उनका प्राण है। बाबा साहब ने जाति मुक्त समाज की कल्पना की थी। दलित–आदिवासियों को छोड़कर उन्हें मानने वाले दीगर लोगों ने उनकी परिकल्पना पर ध्यान नहीं दिया। यह उन लोगों का दोष है। प्रजातांत्रिक हुए, लोकतांत्रिक हुए, गणतांत्रिक हुए मगर मनों को जोड़ न सके, जातिप्रथा को समाप्त न कर सके। आज भी दलितों का इतना विरोध की मत पूछो। फिर मानव–मानव में फर्क। इसे इंसानियत नहीं कहते। छुआछूत जन्म–जन्म से है। शायद अगली पीढ़ी में कोई परिवर्तन आएगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूं।

ई–बैंकिंग

शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

एक जमाना था जब आपके शहर में बैंक होना बड़ी बात थी। लोगों को खाता खुलवाने तक के लिए कई प्रकार की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था। वहीं बैंक में काम कर रहे लोगों को एक खाता खोलने के लिए फॉर्म भरने से लेकर और भी न जाने कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है अब समय है डिजिटल क्रांति का। इस युग को सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग भी कहा जाता है। आज के समय में जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी जरूरत को महसूस किया जा सकता है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण आगमन के बाद से इस क्षेत्र की उपयोगिता एवं जरूरत बढ़ती ही जा रही है। विकसित देशों ने इस क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं। भारत में भी वर्ष 1991 की आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के बाद काफी कुछ बदलाव हुए हैं। खासतौर पर बैंकिंग एवं व्यापार के क्षेत्र में। जहां तक बैंकिंग की बात है तो सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग ने बैंकिंग की मूलभूत अवधारणा, उसकी परंपरागत सोच और उसकी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। सामान्य जन की धरोहर की सुरक्षा के रक्षक की पारंपरिक छवि के विपरीत भारतीय बैंकिंग उद्योग ने संपूर्ण विश्व के साथ कदम मिलाते हुए बैंकिंग में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों को अपनाते हुए स्वयं को बदलते समय के अनुरुप ढालने का प्रयास किया है।

बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए बैंकों में नए–नए उत्पाद एवं सेवाओं का प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रतिस्पर्धी परिवेश और नए युग की बैंकिंग ने बैंकिंग की सभी अवधारणाओं में काफी कुछ बदलाव लाना प्रारंभ कर दिया है। आज बैंक केवल ऋण देने या पैसा सुरक्षित रखने के साधन मात्र नहीं रह गए हैं बल्कि आज बैंकों का लक्ष्य स्वयं को एक सक्रिय एवं तीव्र समाधान प्रदाता के रुप में प्रस्तुत करना है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं

बैंको में उसके प्रयोग ने बैंकिंग के परिवर्तित स्वरुप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आज बैंकिंग व्यवहार का प्रत्येक पहलू चाहे वह बैंकिंग परिचालन, ग्राहक सेवा, बैंकिंग उत्पादों का स्वरुप, प्रकृति, विपणन एवं संचालन कोई भी हो, सूचना प्रौद्योगिकी से ही संचालित हो रही है। वस्तुतः संपूर्ण बैंकिंग परिचालनों को इसने एक नया रुप शैली एवं पहचान प्रदान की है।

ई–बैंकिंग का प्रचलित शाब्दिक अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग है। सामान्यतः बैंको में कम्प्यूटरों का प्रयोग या बैंकिंग व्यवहारों के कम्प्यूटरीकरण का अभिप्राय भी ई–बैंकिंग का द्योतक है। वर्तमान समय में बैंक अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने व नए ग्राहकों को लुभाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसका प्रयोग करने से जहां बैंकों को अपना हिसाब–किताब रखने में आसानी हो गई है वहीं उनकी सेवाएं सिर्फ देश में न रहकर विश्वव्यापी हो गई है। ई–बैंकिंग ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई बैंकों को विश्वव्यापी उपस्थिति दर्ज कराने में सहायता की है। बैंकों द्वारा ई–बैंकिंग के रुप में सुविधाएं उपभोक्ताओं को सुलभ कराने से जहां बैंकों की गुणवत्ता में सुधार आम है तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है वहीं ग्राहक किसी भी समय बैंक से संपर्क व व्यवहार कर अपना समय एवं श्रम भी बचा लेता है। बैंकों के द्वारा अपनी वेब साईट के माध्यम से निरंतर नई–नई सुविधाएं ग्राहक को उपलब्ध कराने एवं वेबसाईट के विकास की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे है।

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता ने बैंकों को अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी उन्मुख विस्तार

करने हेतु प्रेरित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न विस्तार करने हेतु प्रेरित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयमों में बैंकिंग व्यवसाय में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल किया है:–

- **फोन बैंकिग –** इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक को बैंक की शाखा से अपने आई.डी.कार्ड नंबर के माध्यम से पहचान के बाद बैंक कम्प्यूटर द्वारा वांछित सर्विस कोड डायल करने को कहा जाता है और तत्पश्चात् ग्राहक को उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर फोन द्वारा प्राप्त हो जाता है। स्वचालित आवाज रिकॉर्डर से ग्राहक के सरल प्रश्नों और फोन टर्मिनल द्वारा जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। मोबाईल फोन बैंकिंग के अंतर्गत ग्राहक द्वारा मोबाईल फोन के माध्यम से कोई भी संदेश दिया जाता है जो कि कुछ ही सेकेन्डस में लक्ष्य पर ही ग्राहक के प्रश्न का समुचित समाधान कर दिया जाता है।
- **मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन –** यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत समाशोधन गृह में आए बहुत से लिखतों की तीव्र गति से प्रोसेसिंग होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल ऐसे लिखतों का प्रयोग किया जाता है जिन पर संख्या, बैंक कोड आदि जानकारी चुम्बकीय स्याही से मुद्रित होती है जिसे एम.आई.सी.आर. मशीन पढ़ सके।
- **शेयर्ड पेमेन्ट नेटवर्क सिस्टम –** इसका प्रारंभ 1 फरवरी 1991 में हुआ। यह मुम्बई में स्थापित है और इसे स्वधन के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रायोजित

है। इसके अंतर्गत विदेशी बैंको, निजी क्षेत्र के बैंको तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व वाली कई स्वचालित गणक मशीनें एक–दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई है कि किसी भी एक बैंक के ग्राहक को अपना एटीएम कार्ड दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड के लिए प्रयोग में लाने की सुविधा मिल सके।

- **प्लास्टिक कार्ड –** यह एक तरह से पोर्टेबल/पोर्टल पासबुक की तरह है जिसमें ग्राहक के खाते में वर्तमान शेष राशि तथा नवीनतम लेनदेन का ब्यौरा रहता है। इसमें कम्प्यूटर प्रोसेसर और संकलन की सुविधा होती है। कार्डधारक किसी भी सहयोगी बैंक अथवा रिटेलर के पास जाकर धनराशि निकाल सकता है या खरीदारी कर सकता है। कार्ड में संकलित किए गए आंकड़ों को एक विशेष टर्मिनल के द्वारा देखा जा सकता है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षात्मक प्रणाली होती है। ये कार्ड कई प्रकार के होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि। विश्वभर में मात्र कुछ संस्थान इन्हें जारी करा सकते हैं। ऐसी भुगतान प्रणाली को मानक व धोखाधड़ी रहित बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। विश्व में दो संस्थानों के कार्ड सर्वाधिक प्रचलित है वे हैं – वीज़ा कार्ड एवं मास्टर कार्ड।

एक अनुमान के अनुसार भारतीय क्रेडिट कार्ड बाजार में प्रतिवर्ष 25 लाख कार्ड की दर से वृद्धि हो रही है अभी इसमें और तेज वृद्धि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक जहां क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग अधिकांशतः महानगरों में ही हो रहा था वहां अब इनका प्रयोग देश के अन्य नगरों में भी तेजी से बढ़ रहा है।

- **होम बैंकिंग –** इसके अन्तर्गत बैंक का कोई भी ग्राहक घर बैठे ही अपने खाते से व्यवहार कर सकता है, अपेक्षित धनराशि निकालने या जमा करने के लिए अपने पर्सनल कम्प्यूटर के माध्यम से बैंक को आदेश दे सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा –** इसके माध्यम से ग्राहक उनके टेलीफोन बिल, बिजली बिल आदि का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से घर बैठे कर सकते है। इसके द्वारा कॉर्पोरेट क्षेत्र और सरकारी विभागों द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज, लाभांश, पेंशन, कमीशन आदि का व्यवहार भी किया जाता है। लेकिन वर्तमान में यह योजना कुछ चुने हुए शहरों में ही लागू है।
- **इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण –** इसके अतंर्गत इस प्रकार की भुगतान प्रणालियां लागू हो गई है जिनमें लिखित चेक, बैंक

ड्राफ्ट के बिना एक खाते से दूसरे खाते में, एक शहर से दूसरे शहर में धन अंतरित किया जा सकता है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि बैंक में उपयोग किया जाने वाला कम्प्यूटर नई एवं उत्तम, उन्नत तकनीक युक्त होना चाहिए।

- **बैंकनेट** – बैंकिंग उद्योग में संप्रेषण के साधन प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1991 में बैंकनेट की स्थापना की गई थी। बैंकनेट कुछ चुने हुए केंद्रों में पोर्ट नेटवर्क के माध्यम से आपस में संप्रेषण सुविधा प्रदान करता है।
- **आरबीआई नेट** – मुक्त फार्मेट में संदेश संप्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1994 में इस नाम का स्वयं का सॉफ्टवेयर स्थापित किया था। यह मुक्त फार्मेट संदेश संप्रेषण के अतिरिक्त बैंकनेट पर फाइलें अंतरित करना भी संभव बनाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज** – इसमें विभिन्न कम्प्यूटर टर्मिनलों के मध्य आंकड़ो का अंतरण एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में बिना किसी मानवीय हस्तेक्षप के किया जाता है। यह अंतरण से संबंधित अशुद्धता, विलंब से अंतरण, आदि का निराकरण कर शुद्धता बनाए रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी प्रविष्टियों का मिलान तीन माह में करने के उद्देश्य से बैंको में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली शुरु की गई है। इस प्रणाली द्वारा सभी कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की सूचना प्रतिदिन केन्द्र द्वारा सभी कम्प्यूटर में अद्यतन किया जा सकता है।
- **स्वचालित गणक मशीन** – यह एक ऐसी मशीन है जो सप्ताह के सातों दिन, दिन के चौबीसों घंटे, नकद भुगतान करना, जमा राशियां स्वीकार करना, चेक बुक प्राप्त करना, खाता विवरण प्राप्त करना, लेन–देन व खातों में शेष राशि से संबंधित जानकारी प्रदान करने जैसी ग्राहक सेवा प्रदान करती है जिसके कारण यह संतुष्टिपूर्ण ग्राहक सुविधा की दृष्टि से आज की एक आवश्यकता बन गई है। ग्राहक एटीएम से पैसे निकाल सकेगा एवं उसके काम रुकेंगे नहीं।

वर्तमान में तो स्थिति यह है कि बैंक के 70 फीसदी से अधिक ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपने सभी बैंकिंग व्यवहार इन्हीं के माध्यम से पूर्ण कर लेते हैं और बैंक की किसी भी शाखा में स्वयं जाते ही नहीं है।

आज कॉलेज में फीस जमा करने से लेकर टैक्स भरने तक का कार्य इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि ई–बैंकिंग, बैंकिंग की अन्य प्रणालियों की तुलना में खर्चो में कमी करती है और विभिन्न प्रकार के माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना अनुमत करती है। प्रौद्योगिकी के विभाग ने भौगोलिक सीमा एवं समय सीमा को कम कर दिया है। समस्त विश्व एक वैश्विक गांव बनकर रह गया है। आज का ग्राहक बैंक शाखाओं और कार्यालयों में पंक्तियों में खड़ा होकर प्रतीक्षा करने के बजाए कम्प्यूटर, एटीएम आदि की सेवाएं प्राप्त कर रहा है। आज बैंकों ने अपने ग्राहकों को उनके खातों में राशि में किए गए संव्यवहारों की जानकारी, विभिन्न खातों में राशि के अंतरण की सुविधा, सावधि जमा रसीदें बनाने, करने मे अधिक तीव्रता दिखाना शुरु कर दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई इस क्रांति ने संभाव्यताओं और अवसरों के नए द्वार खोले हैं।

लेकिन इतने लोभों के बावजूद इस कम्प्यूटर परिवेश में अनेक फ्रॉड या जालसाजियों की घटनाएं भी हमारे सामने आ रही है। इसमें अनेक बैंक चिंतित भी है और आशंकित भी। अब एटीएम को ही ले लीजिए, एक तरफ जहां इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वहीं एटीएम की सुरक्षा की समस्या भी सामने आ रही है। असामाजिक तत्वों की निगाह में एटीएम 'पैसा उगाने वाली मशीन' है इसलिए कहीं–कहीं एटीएम मशीन में तोड़–फोड़ की घटनाएं हो रही है तो कहीं विभिन्न कार्ड (एटीएम, क्रेडिट, डेबिट) के दुरुपयोग से धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ई–बैकिंग से बैंकिंग जगत एवं उपभोक्ताओं को हो रहे असंख्य लाभों को आगे ले जाना है तो हमे इस प्रकार के कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट के माध्यम से होने वाले जोखिमों, अपराधों, जालसाजियों से सतर्क और सावधान रहना होगा, उन्हें रोकने के लिए प्रभावी प्रबंध करना होगा।

हम निश्चितौर पर कह सकते हैं कि विगत कुछ वर्षो में जिस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र को तैयार किया गया है उनमें यदि हम कुछ कमियों को समाप्त कर दे तो यह भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र को भावी चुनौतियां का सामना करने हेतु सक्षम बनाएगा और हम जिस डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं वो सच्चे अर्थों में पूरा हो पाएगा।

तकनीकी और भाषा

सचिन शर्मा
प्रबंधक

एक जमाना था जब हम पोस्टकार्ड या फिर अंतर्देशीय पत्र खरीद कर चिट्ठी लिखा करते थे लेकिन फिर जमाना आया एसएमएस का। हम धीरे–धीरे तकनीकी के इतने आदि हो गए कि पता ही नहीं चला की संदेश पहुंचाने का तरीका चिट्ठी से कब 'सरल मोबाइल संदेश' और फिर वाहट्सएप और मैसेंजर तक पहुंच गया। आज हम पलक झपकाए किसी सुदूर गांव तक अपने विचारों को पहुंचा सकते है। आज एक क्लिक पर आपके मोबाइल में ही दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है। तकनीकी के इस दौर में हमें जो भी चाहिए वो एक क्लिक में समा गई है। आज बड़े तो बड़े बच्चे भी ई–लर्निंग और ई–क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम तकनीकी से लैस पीढ़ी हैं।

फिर सवाल उठता है कि तकनीकी तो है लेकिन क्या यह हमारे भाषा में उपलब्ध है या फिर यह हमारे भाषा के विकास में क्या मदद कर सकता है। आज कल हम सभी कंप्यूटर पर आसानी से टाइपिंग कर लेते है, जैसे ई मेल भेजना, फेसबुक स्टेटस अपडेट करना या चैटिंग करना आदि। पहले तो लोग अंग्रेजी में ही अपने विचारों को व्यक्त करते थे। लेकिन कहते हैं न कि जहां जरूरत होती है वहीं खोज होती है और सोशल साइट के संदर्भ में भी यही हुआ। आज दुनिया भर के लिए भारत एक बाजार है और उन्हें मालूम है कि यदि उन्हें भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है तो उन्हें यहां की स्थानीय भाषाओं को तरजीह देनी ही होगी। यही कारण है कि लगभग सभी स्तर पर हिंदी एवं कुछ अन्य प्रमुख भाषाओं में तकनीक समर्थित कोड विकसित किए गए। यदि फॉन्ट की बात करें तो दो प्रकार के फॉन्ट पाए जाते हैं –यूनीकोड एवं रेमिंगटन। यूनीकोड फॉन्ट ने हिंदी को कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक की भाषा बनने में काफी मदद की है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल की सहायता से कोई भी व्यक्ति हिंदी या अन्य भारतीय भाषओं में आसानी से काम कर सकता है। यह टूल सभी एप्लिकेशनों पर सफलता पूर्वक कार्य करता हैं, और अंग्रेजी कीबोर्ड ले–आउट होने के कारण प्रयोग करने में भी सरल है। इसके बाद गूगल हिंदी इनपुट जो अंग्रेजी कीबोर्ड की सहायता से चलता हैं, के बारे में पता चला। फिर इनस्क्रिप्ट और बाराह आदि की जानकारी से कंप्यूटर पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध विविध तकनीकी सुविधाओं के बारे में पता चला।

हिंदी भाषा की विशेषता यह हैं कि यह एक सर्वसमावेशी भाषा हैं, इसमें संस्कृत से लेकर भारत की प्रांतीय भाषाओं के साथ–साथ अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। तकनीकी के इस युग में हिंदी ने भी अपने परंपरागत स्वरूप को समय के अनुरूप ढाल लिया है। कंप्यूटर के साथ हिंदी भाषा ने अब चोली–दामन का साथ बना लिया है। आज तकनीकी के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को अपनाना आसान हो गया हैं। टाइपिंग की सुविधा से लेकर वॉइस टाइपिंग की सभी सुविधाऐं आज उपलब्ध है। आवश्यकता केवल हिंदी भाषा के उपयोगकर्ताओं द्वारा इन नवीनतम तकनीकी सुविधाओं को अपनाने भर की है। ओसीआर अर्थात ऑप्टीकल कैरेक्टर रिकग्नीशन अर्थात प्रकाश पुंज द्वारा वर्णों की पहचान कर पुराने देवनागरी हिंदी टेक्स्ट को युनिकोड फॉन्ट में परिवर्तित करने की सुविधा से पुरानी किताबों का डिजीटलाइजेशन करने में मदद मिल रही है। इससे संस्कृत भाषा में लिखे गये लेख सामग्री को आसानी से हिंदी के युनिकोड फॉन्ट में परिवर्तित किया जा सकता हैं। इस तकनीकी से पूराने शास्त्र, ग्रंथों के डिजीटलाइजेशन से ज्ञान के नए डिजिटल स्रोत खुल रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों की दुर्लभ प्रतियों का डिजीटलाइजेशन करने से उनमें उपलब्ध ज्ञान का फायदा सभी को होगा।

भारत सरकार ने हिंदी में विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य और शब्दावलियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की है। जिसका प्रमुख कार्य ज्ञान–विज्ञान तथा तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के हिंदी पर्याय उपलब्ध कराना और तत्संबंधी शब्दकोशों का निर्माण करना है। आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावलियों को आधार मानकर विभिन्न विषयों की मानक पुस्तकों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दकोशों का निर्माण करने और उनके प्रकाशन कार्य भी किया जाता है।

अब हम टाइपिंग के आगे टेक्स्ट टू स्पीच के दौर में पहुंच चुके हैं और यहां भी तकनीक की सहायता से हिंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है। गूगल वॉइस टाइपिंग सेवा की सहायता से आप बोलकर टाइप कर सकते हैं। इस सुविधा से हिंदी टाइपिंग के लिए लगने वाले समय में काफी बचत हुई है। एन्ड्रॉइड मोबाइल पर हिंदी की ऑफलाइन शब्दावली सुविधा अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों के हिंदी शब्दार्थ ढूंढने में सहायक है। भाषा प्रौद्योगिकी तथा नित नई विकसित होने वाली तकनीकों से हिंदी के विकास को और भी गति मिलेगी। हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं को भी तकनीकी ने काफी गति प्रदान की है। आशा है कि समय के साथ तकनीक और भाषा का यह संगम और भी बेहतर परिणाम के साथ ज्ञान भंडार को समृद्ध करने में मदद करेगा।

झारखंड के दो अद्भुत मंदिर

सौरभ शेखर झा
अनुवादक (अनु.)

आपने न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत दीवानी मामले एवं फौजदारी मामलों के निपटारे के लिए दीवानी न्यायालय एवं फौजदारी न्यायालयों के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपने सुना है कि कहीं किसी मंदिर में भी इन मामलों के निपटारे होते हैं। आपको विश्वास नहीं है न तो आइए झारखंड राज्य। यहां के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जहां एक ओर आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कामनापूर्ति ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में होती है तो वहीं अगर आपको त्वरित सुनाई चाहिए तो दुमका जिला स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करें।

पहले हम विश्व प्रसिद्ध बाबा वैधनाथधाम की बात करें। बैद्यनाथ मंदिर, भारत में बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, की गिनती झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में होती है। जहाँ पर यह मन्दिर स्थित है उस स्थान को ''देवघर'' अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर नाम मिला है। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को ''कामना लिंग'' भी कहा जाता हैं।

मंदिर के निर्माण का इतिहास एवं लोककथा

इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना से प्रभावित होकर उसे एक शिवलिंग दिया था, जो रावण को अपने राज्य तक अपनी यात्रा बाधित किये बगैर ले जाना था। देवता दिव्य शिवलिंग को शत्रु राज्य को दिये जाने से प्रसन्न नहीं थे और इसलिए भगवान विष्णु ने एक चरवाहे का रूप धारण कर लिया तथा रावण से सफलतापूर्वक शिवलिंग छुड़ा दिया, और इस प्रकार यह देवघर में छूट गया। खोया हुआ शिवलिंग बैजू नाम के एक आदमी को मिला था और उसके बाद इसका नाम बैद्यनाथ मंदिर रखा गया।

मंदिर के पंचशूल पर अलग–अलग मत

वैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल के विषय में धर्म के जानकारों का अलग–अलग मत है। एक मत है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। पंचशूल का दूसरा कार्य मानव शरीर में मौजूद पांच विकार–काम, क्रोध, लोभ, मोह व ईर्ष्या का नाश करना है। यहां के कुछ प्रसिद्ध पंडित इस पंचशूल को पंचतत्वों–क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से बने मानव शरीर का द्योतक बताते हैं। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथा स्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। सावन माह के दौरान बहुत–से श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवर में गंगाजल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर और 'बोल बम' का जयघोष करते हुए वैद्यनाथधाम पहुंचते हैं।

मंदिर के आस–पास

विशाल मंदिर कब और किसने बनाया, यह शोध का विषय माना जाता है। मध्य प्रांगण में 72 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा अन्य 21 मंदिर स्थापित हैं। ये हैं:– गौरी मंदिर, गणपति मंदिर, संध्या देवी मंदिर, हनुमानजी का मंदिर, सरस्वती का

मंदिर, बगला देवी का मंदिर,,, आनंद भैरव मंदिर, मानिक चौक चबूतरा, कालिका मंदिर, चंद्रकूप, नीलकंठ महादेव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, ब्रह्माजी का मंदिर, काल भैरव मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, सूर्य मंदिर, श्री राम मंदिर, गंगा मंदिर, हर गौरी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर। इसी प्रांगण में एक घंटा, एक चंद्रकूप और प्रवेश के लिए विशाल सिंह दरवाजा बना हुआ है।

मंदिर तक कैसे पहुंचे

यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन देवघर से 7 कि.मी. की दूरी पर बैद्यनाथ धाम में स्थित है और यह नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी और भुवनेश्वर जैसे कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य स्टेशन जसीडीह है जो कि देवघर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक पक्की सड़क बनी हुई है तथा कई प्रकार के छोटे यातायात साधन आसानी से उपलब्ध है। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम घरेलू हवाई अड्डा लोक नायक जयप्रकाश हवाई अड्डा, पटना, देवघर से 274 किलोमीटर दूर स्थित है। पटना में बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, रांची, भोपाल, अहमदाबाद, गोवा और विशाखापत्तनम जैसे कई शहरों की दैनिक उड़ानें हैं।

अब बारी है कि कुछ अपने फौजदारी बाबा अर्थात बाबा बासुकीनाथ के बारे में जानें। बासुकीनाथ अपने शिव मन्दिर के लिये जाना जाता है। वैद्यनाथ मन्दिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किये जाते। (यह मान्यता हाल फिलहाल में प्रचलित हुई है। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था। न ही पुराणों में ऐसा वर्णन है।) यह मन्दिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुण्डी गाँव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का सम्बन्ध नोनीहाट के घटवाल से जोड़ा जाता है। बासुकीनाथ मन्दिर परिसर में कई अन्य छोटे–छोटे मन्दिर भी हैं।

ऐसी मान्यता है कि बासुकीनाथ की पूजा के बिना बाबा बैद्यनाथ की पूजा अधूरी है। यही कारण है कि भक्तगण बाबा बैद्यनाथ की पूजा के साथ–साथ यहां आकर नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात बाबा बासुकीनाथ की अराधना करते हैं। सावन के महीने में तो हजारों–लाखों भक्तगण सुलतानगंज–अजगैबीनाथ से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल अपने कांवरों में भरते हैं। फिर एक सौ किलोमीटर से भी अधिक पहाड़ी–जंगली रास्ते पैदल पारकर इसे देवघर में बैधनाथ ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। इसके बाद वे बासुकीनाथ आकर नागेश ज्योतिर्लिंग पर जल–अर्पण करते हैं।

बासुकीनाथ मंदिर के बारे में मान्यता

प्राचीन काल में बासुकीनाथ घने जंगलों से घिरा था। उन दिनों यह क्षेत्र दारूक–वन कहलाता था। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दारुक–वन में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निवास था। शिव पुराण में वर्णित है कि दारूक–वन दारूक नाम के असुर के अधीन था। कहते हैं, इसी दारूक–बन के नाम पर संताल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका का नाम पड़ा है। बासुकीनाथ शिवलिंग के आविर्भाव की कथा अत्यंत निराली है। एक बार की बात है – बासु नाम का एक व्यक्ति कंद की खोज में भूमि खोद रहा था। उसके शस्त्र से शिवलिंग पर चोट पड़ी। बस क्या था– उससे रक्त की धार बह चली। बासु यह दृश्य देखकर भयभीत हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने उसे आकाशवाणी के द्वारा धीरज दिया – डरो मत, यहां मेरा निवास है। भगवान भोलेनाथ की वाणी सुन बासु श्रद्धा–भक्ति से अभिभूत हो गया और उसी समय से उस लिंग की मूर्ति–पूजन करने लगा। बासु द्वारा पूजित होने के कारण उनका नाम बासुकीनाथ पड़ गया। उसी समय से यहां शिव–पूजन की जो परम्परा शुरू हुई, वो आज तक विद्यमान है। आज यहां भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का विशाल मंदिर है। मुख्य मंदिर के बगल में शिव–गंगा है जहां भक्तगण स्नान कर अपने आराध्य को बेल–पत्र, पुष्प और गंगाजल समर्पित करते हैं तथा अपने कष्ट–कलेशों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।

तो आप भी झारखंड आएं और इसके रमणीय वादी के साथ कुछ भक्ति का भी रसपान करें।

मां तुझे सलाम

श्रीमती गीता नन्दन प्रसाद
माता, दीपाली नन्दन प्रसाद, उप प्रबंधक

आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नौजवान की बात बताने जा रही हूं जिसे आप लोग भी जानें। जब देश गुलाम था, हमारे देश में अंग्रेजो का शासन चरम सीमा पर था, जगह–जगह आतंक फैलाने की योजना बनाकर अंग्रेज उस पर अमल करते चले जा रहे थे, पर भागलपुर के कुछ नौजवान जिसमें सात प्रमुख थे, जो उसकी योजना को कामयाब नहीं होने देते थे। किसी न किसी तरह उसकी चाल को नाकाम कर देते थे। भागलपुर से कुछ मील दूर सुलतानगंज है, जो गंगा के तट पर बसा है। उधर से भी ये लोग आने का प्रयास करते थे। गंगा के बीच में एक छोटा सा मंदिर है, जितने भी यात्री वहां आते थे वह उसी मंदिर पर नाव के सहारे जाकर स्नान करते और वहां का जल मंदिर में बाबा को चढ़ाते थे। उस स्थान की यह मान्यता है कि गंगा उत्तर दिशा से उस मंदिर को एक गोल से घूमकर उसकी धारा फिर उत्तर में मिल जाती है। यहां का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। सावन के महीने में आस–पास के लोग यहीं से जल उठाकर पैदल बाबा बैद्यनाथधाम जाते थे। कभी–कभी गंगा का पानी इतना बढ़ जाता था कि मंदिर भी पानी में समा जाता था। फिर कुछ देर के बाद वह ऊपर हो जाता था।

एक बार की बात है कुछ अंग्रेज सिपाही नाव के सहारे उस मंदिर तक पहुंचे। उनके साथ काफी मात्रा में कुछ न कुछ उनके पास था। वे लोग तो भाषा के मामले में बहुत कमजोर थे। अचानक उन लोगों की मुलाकात इन नौजवानों के साथ हुई। इन सब में एक व्यक्ति अंग्रेजी समझता था और उसने अंग्रेजों से बातचीत भी की। क्योंकि वह लड़का आई.ए. पास था। उसका नाम विरेन्द्र था। इन लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि ये सब कुछ न कुछ करने के उद्देश्य से यहां आए हैं। अंग्रेजों ने बड़े ही सरल भाव से पूछा कि क्या हम सब रात इस जगह पर रह सकते हैं। उन लोगों ने उनका नाम बीरू कहकर पुकारा और अपनी इच्छा जाहिर की। उसी समय नाविकों में एक तरह की आवाज आयी, पानी बढ़ रहा है, अब हम लोगों को अपनी नाव किनारे लगा देनी चाहिए।

सातों नौजवान आखिर नाव पर बैठकर किनारे लग गये पर उन लोगों को मंदिर में छोड़ दिया। सुबह क्या नजारा होगा यह अनुमान आप खुद ही लगा लो।

ज्यादातर अंग्रेज जमालपुर या कहलगांव से आते थे। इन सातों का करामात उन्हें किसी तरह सफल नहीं होने देती थी। रेल लाईन को उखाड़ देना, सामान से लदी ट्रेन के डिब्बों को काट देना, इस तरह की छोटी – छोटी हरकत जगह–जगह पर करते रहते थे। पैदल आने वाले के लिए रातभर में बड़ा–बड़ा गड्ढा बनाकर छोड़ देते थे। ऊपर से सूखे पत्ते ढक देते थे। इन लोगों का मकसद किसी की जान लेना नहीं रहता था, पर इतना ध्यान जरूर रखते थे कि वे लोग अपने काम में सफल न हो सकें। इन लोगों की ये हालत हो गई थी कि जहां जो मिल गया, खा लिए नहीं तो पानी पीकर रह गये। सोने की सुध नहीं। कपड़ा–लत्ता से भी फटेहाल थे। कभी कोई मां चुपचाप रात में मिलती तो कुछ खाने का साथ कर देती।

ज्यादा समय इन लोगों का भोजन सत्तू–चूड़ा ही हुआ करता था। इस तरह सातों एक साल तक भटकते रहे। जगह–जगह अंग्रेजों को तबाह करते रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। इन सातों के घर का पता चल जाए तो वे लोग कुछ कार्रवाई करे। पर जिन–जिन मां ने इन सपूतों को जन्म दिया था वो भी तो देश भक्त ही थी न। उन लोगों को पहचान पाना भी उस ऑफिसर से नहीं हो पा रहा था। इन लोगों का घूमना तो जारी था पर इस हाल में रहते थे कि उन पर संदेह ही नहीं किया जा सकता था। पता लगाते–लगाते उसे यह तो पता चल गया कि यह शातिर

दिमाग बीरेन जी का है। इनको ही पकड़कर नजरबंद करना जरूरी है। एक दिन अंग्रेजों ने उनका घर भी खोज लिया। बीरेन जी के पिता एक वकील थे। एक बार आकर मिला और पूछा बीरेन जी घर पर हैं? बाबूजी ने कुछ भी छुपाना उचित न समझा और सारी बात खुलकर बता दी। ऑफिसर ने अनुरोध किया, हम लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं आप हमें मदद कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी करते पकड़ा गया तो हम लोगों को उसके साथ मारपीट करना पड़ सकता हैं अगर वह खुद ही आत्मसमर्पण कर देंगे तो सिर्फ उन्हें फैसला होने तक नजरबंद करके रखा जायेगा। बाबूजी ने उन्हें पूरी तरह से सहयोग किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। आने पर मैं खुद ही आपको सूचना दे दूंगा। बाबूजी कोर्ट जाते थे और वहां आन्दोलनकारियों पर किये गये अत्याचारों से भयभीत थे। वह यह नहीं चाहते थे कि बीरेन कुछ करता पकड़ा जाए। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ईश्वर से उसके लिए दुआ के सिवा।

तब तक देश में आजादी की लहर दौड़ पड़ी थी। जगह–जगह पर आन्दोलनकारियों ने तबाही मचा रखा था। गांधीजी भी अपना कर्तव्य भली–भांति निभा रहे थे। सभी में आजादी की लहर दौड़ रही थी। उस समय लेखक और कवि भी अपनी कलम की ताकत से वार कर रहे थे। नित्यदिन कुछ नया ही देखने को तथा पढ़ने को मिलता था। करीब–करीब पूरे भारतवर्ष में एक लहर–सी दौड़ गई। सभी अपने–अपने क्षेत्रों में आजादी के लिए आवाज उठाने लगे। बहुतों ने तो अपनी जान भी गंवाई। फिर भी किसी में आजादी पाने की लालसा कम नहीं हुई। दिन–प्रतिदिन यह लहर आग की लपट की तरह पूरे भारत में फैल गई। इस चौंकाने वाली हालत ने अंग्रजों की जड़ों को कमजोर कर दिया था। उन लोगों के मन में भी एक डर सा बन गया था। जब सब जगह लहर उठ चुकी थी, इन सातों का हौसला भी बढ़ा, जिस काम को करने से डरते थे उस काम को भी बड़े निर्भय तरीके से अंजाम देते जा रहे थे। इन सातों ने किसी को जान से नहीं मारा और न कभी जानलेवा हमला किया।

मां अंदर से बहुत खुश थी। उसे यह अच्छा लग रहा था कि जिस उद्देश्य को लेकर उसका बेटा निकला था उस उद्देश्य के साथ आज पूरे भारत के बेटा निकल पड़े। उसे अब यह विश्वास हो रहा था कि मेरा देश अब आजाद हो जायेगा। अब यहां के लोग भी किसी से डरकर नहीं जीयेंगे, किसी के शासन में नहीं रहेंगें। उस ऑफिसर की बात याद आते ही वह अंदर से कांप उठती थी कि कहीं कुछ करते पकड़ा तो मारपीट भी उसके साथ होगा। कुछ दिनों के बाद इन सातों ने सिर्फ इस काम में अपना हाथ बंटाने लगे, जगह–जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर चिपकाने का। दिन भर तो यह काम नहीं कर सकते थे, पर रात में चिपकाने का काम करते थे। पटना में उस समय आचार्य शिवपूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानन्दन पंत जैसे लेखकों की लेखनी प्रिंट करवाकर दीवार पर चिपकाना शुरू कर दिये। इसी तरह समय बीत रहा था। आजादी की लहर दिन प्रतिदिन ओर तेज होती जा रही थी।

जून का महीना आ गया। गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी। उसी समय बाबूजी के पास कुछ डलिया आम आया। आम बीरेन जी को बहुत पसंद था। वह नाश्ते में आम ही खाते थे। ये बात मां को चुभ रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह आम उस तक पहुंचाया जाए या खुद आकर खा ले। पर वह अपने विचार को किसी के आगे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वह यह भी समझ रही थी कि वह ऑफिसर तो मुझपर नजर गड़ाये होगा। वह बीच–बीच में घर में काम करने वाली से पता लगाता रहता था। एक दिन आचानक रात में बीरेन जी

घर पहुंचे। मां से रात भर बातचीत किये और उसे समझाये कि तुम घबराना नहीं। अब कुछ ही दिनों की बात है, जिस काम को लेकर हम लोग उठे, आज उस काम में सारा भारत खड़ा है। मां ने उस ऑफिसर की भी बात बताई, सुनने के बाद बीरेन जी ने अपती मां को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बातों का यकीन करो। मैं आम खाने आया हूं, फिर निकल जाऊंगा। सुबह का समय था। उठकर आम खा रहे थे। मां काट–काट कर दे रही थी। बस उसी समय एक ऑफिसर भेष बदलकर बाबूजी के पास आया और पूछा कि बीरेन जी घर पर हैं? अचानक उनके मुंह से यह बात निकल गई कि हां, अन्दर आम खा रहा है। फिर बोले कि मुझे कुछ जरूरी काम है, एक मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूं। बीरेन जी बाहर निकले और पतली गली से बातचीत करते–करते गाड़ी तक चले आये। बाद में उस ऑफिसर ने कहा कि मैं आपको एरेस्ट करता हूँ, अब आप हमारे साथ जेल चलिए। वहां से छान–बीन के लिए आपके घर पर कुछ लोग जायेंगे। मां की बात से वाकिफ तो थे ही, पर बीरेन जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा पर मेरे बाबूजी को यह खबर मिल जानी चाहिए कि मैं पकड़ा गया। एक छोटा सा कागज और पेन निकालकर दिया गया। उस पर अपने पकड़े जाने की बात के साथ कुछ चिन्ह बनाया जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसमें एक सिपाही ने कागज का टुकड़ा लाकर बाबूजी के हाथ में दे दिया। उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। वह इस भय से ग्रसित हो गये कि कहीं वह जेल में ले जाकर उसके साथ मारपीट न करें। तब तक वह सिपाही बोल उठा कि हम आपके घर की तलाशी लेंगे। बाबूजी ने भी हिम्मत के साथ उससे बात की और कहा कि आप हमारे घर की तलाशी लेंगे, इस बात का लिखित आदेश कहाँ है? आप ऑफिसर का लिखा हुआ कागज मुझे दिखायें, तब मैं अपने घर की तलाशी लेने दूंगा। सिपाही वहीं पर बैठा रहा और दूसरे सिपाही को तलाशी का कागज लाने भेज दिया।

पहले जमाने में तो खाना लकड़ी या चूल्हा पर आग सुलगा कर कोयला से बनता था। मां बीरेन जी का जितना कागज था, जहां जिस टीन के बक्से में रखा था, सब जलाकर कोयला डाल दी। यहां तक कि कुछ भी सबूत उन लोगों के खिलाफ नहीं छोड़ा। करीब एक घंटे के बाद एक गाड़ी में चार–पांच सिपाही और कागज के साथ उतरे। कागज पढ़ने के बाद बाबूजी इसके लिए विवश हो गये कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। सबने घर की तलाशी ली। यह उन लोगों का दुर्भाग्य था कि उन्हें कुछ भी हाथ न लगा। पूरा घर का चप्पा–चप्पा छान मारा, सब सामान बिखेर दिया और फिर वापस बाबूजी के पास आया। कहा कि हम लोग जानते हैं आपके घर से तो कुछ बरामद नहीं हुआ। अगर आप चलकर हमारे ऑफिसर से मिलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। बाबूजी ने कहा मैं मिलूंगा तो जरूर पर इस गाड़ी पर चढ़कर नहीं। मैं पीछे से आता हूं। बाबूजी के मन में भी गुस्सा था साथ में लाचारी भी। कुछ देर के बाद अपने नित्यक्रिया से निवृत्त होकर जेल पहुंचे। ऑफिसर ने बहुत सहानुभूति दिखायी। कुर्सी पर बैठने बोला और साथ में धन्यवाद भी दिया। बाबूजी चुपचाप सब सुनते रहे फिर बोले कि आपको तो पीछे की बात याद होगी। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं सिर्फ नजरबंद करके रखूंगा, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब आप कहे अनुसार कार्य करने को बाध्य हैं। हमारा आपके पास आने का बस यही मकसद था। इन्हें तो पकड़ लिया था पर इनके साथी तो बाहर थे। करीब–करीब एक सप्ताह तक लगातार कभी घर पर तो कभी बीरेन जी से पूछताछ जारी रखा, लेकिन कहीं भी किसी तरह से उन सबका पता नहीं चल पा रहा था। एक सप्ताह के बाद इन छः लोग ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।

अब एक प्रश्न बीरेन जी के परिवार पर भारी पड़ रहा था। सब डर रहे थे कि जिस आजादी की लहर पूरे भारत में दौड़ रही है, वे सातों भी जेल के अन्दर कुछ खुराफात न करें। यह भी निश्चित नहीं था कि कब तक देश आजाद होगा। इन लोगों के भविष्य की चिन्ता सता रही थी। ऐसे तो किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन सबकी मां मिल सकती थी। जेल का कानून था कि कोई भी सामान आन्दर नहीं जायेगा। खाने की चीज को पहले खुद खाना तब अन्दर जाने देना। कुछ दिनों तक सोच– विचार के बाद सबके माता–पिता के मन में यह

ख्याल आया कि उन लोगों का ध्यान पढ़ने की ओर झुकाना चाहिए, ताकि वे लोग किसी काम में फंसे रहे। बीरेन जी की मां उनके लिए बी.ए. की सारी किताब लेकर जेल पहुंची और बोली कि मैं यह चाहती हूं कि तुम जेल में इसकी तैयारी करो और बी.ए. की परीक्षा में बैठो। पहले तो इस वाक्य ने उन्हें सदमे में डाल दिया। दिमाग पर तो भूत सवार था। पहले तो इनकार किये फिर कुछ सोच–विचार करने के बाद मां से कहे कि तुम जो कहोगी अब सारा काम तुम्हारे कहे अनुसार होगा। मां बहुत खुश हुई। वे तीन साल जेल में रहकर पढ़ाई किये और अपने जीवन का लक्ष्य पाने में सफल रहे। परीक्षाफल आने के बाद बाबूजी भी बहुत खुश थे, क्योंकि वह फर्स्ट डिविजन

से पास किए थे, जिसकी आशा बाबूजी को थी ही नहीं। वे अपना मन लिखने या पढ़ने में लगाने लगे। अब उनका मुख्य काम था लिखना। पर उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं लंदन जाता, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उस सीमित पैसा में मां–बाप को एक बेटे को लंदन भेजना एक सपना की तरह लग रहा था।

फिर देश आजाद हुआ। सबके सब जेल से छूटकर घर आये। पूरे देश में खुशी मनायी जा रही थी। कुछ दिनों के बाद मां से एक दिन लंदन जाने वाली बात कही। उस समय उनसे दो भाई छोटा था जो पढ़ाई ही कर रहा था। एक बहन थी। परिवार के साथ भेजना मां–बाप पर भारी पड़ रहा था। पर बाबूजी खुश थे इसलिए कि वह अंग्रेजी की उच्च शिक्षा लेने जाना चाहता था। वहां के जेलर भी भैया के स्वभाव को समझ गये थे। उनसे उनका सम्बन्ध भी अच्छा बन गया था।

फिलहाल तो शिवपूजन सहाय जी की मदद से साहित्य सम्मेलन में एक छोटी नौकरी मिल गई। पटना में रहना पड़ता था। उस समय वेतन के नाम पर उन्हें 100/– रू मिलता था। अपना गुजर–बसर करने के लिए काफी था। अपने काम से सबके मन में जगह बनाने लगे। मेहनती तो थे ही, कुछ महीने बाद उनकी शादी आचार्य शिवपूजन सहाय की बड़ी लड़की से हुई। उनकी बेटी भी बहुत सुशील और समझदार थी। बड़े नेक विचार की थी। दो साल बाद बाबूजी ने उन्हें लंदन भी भेजा। वहां वह जो भी शिक्षा लेना चाहते थे इसके लिए उन्हें पूरी आजादी थी। उनका परिवार बाबूजी ही देख रहे थे। एक साल के बाद जब वह लंदन से लौटे तब उन्हें दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नौकरी लग गई तथा वे अपने परिवार के साथ रहने लगे।

लेकिन लिखना उनका जारी रहा। संगीत के भी वे प्रेमी थे। सितार भी बजाते थे। समय मिलने पर सितार लेकर बैठना भी एक काम उनके जीवन का था। अपने जीवनकाल में कई किताबें उन्होंने लिखी जैसे मानव, जलियावाला बाग। विद्यापति का नाटक भी लिखते थे, जिसमें विद्यापति वह खुद बनते थे। 'मानव' भी उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ। जलियांवाला बाग को जब नाटकीय ढंग में पंजाब में दिखाया गया, सभी दर्शक रो पड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आकर कहा कि आप पंजाब के लिए ही लिखो, पंजाब आपको मालामाल कर देगी और उन्हें एक शॉल के साथ एक सिक्कों की थैली दी। उनका विचार तो सदा आजाद रहा था। उन्होंने शॉल और थैली दोनों वापस कर दिया और कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं पर कलम नहीं बेच सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पंजाब के लिए भी लिखूंगा। इस तरह एक साधारण व्यक्ति की तरह रहकर कुछ–कुछ करते रहे। उनका जीवन बिल्कुल सीधा–साधा था। उनके रहन–सहन में किसी भी तरह का लिफाफा नहीं था।

रिटायर करने के बाद उन्हें सरकार पेंशन देने लगी। उन्हें फ्रीडम फाईटर का भी पेंशन मिलने लगा। ट्रेन से पूरे भारत में कहीं भी जाने–आने का पास दिया गया। उनकी बीमारी के ईलाज का कुछ अंश सरकार देती थी। इनको फ्रीडम फाईटर का पेंशन लेने साल में एक बार भागलपुर आना पड़ता था।

जीवन में उन्हें सब कुछ मिला। एक बात उनको सदा कचोटती कि अपनी मां के लिए हम कुछ नहीं कर पाये। हमारा इतना दूर पहुंचना और इतनी कामयाबी मिलना हम उसके साथ नहीं बांट पाये। उसने जितना कष्ट हमारे लिए धैर्यपूर्वक उठाया उसको हम किसी तरह से भी सुख नहीं पहुंचा सके। हम बड़े गर्व से यह कह सकते हैं कि मैं वीरेन्द्र नारायण की छोटी बहन हूं।

सतत विकास लक्ष्य

मनीषा
हिन्दी अनुवादक (अनु.)

वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal - SDG) कहा जाता है। SDGs में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों के साथ गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, पानी, स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण, शहरीकरण, सामाजिक न्याय शामिल हैं।

हाल के वर्षों में विश्व के अनेक भागों में मौसम के कारण अनेक घटनाएं घटी। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो ऐसी मौसमी घटनाओं या समस्याओं से रूबरू न हुई हो। सूखा, बाढ़ और बढ़ते समुद्र तट के कारण अनेकों लोगों को अपने घरों से दूर जाना पड़ा और दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक यदि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बनी रही तो वर्ष 2050 तक पर्यावरणीय समस्याओं के कारण अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाने वालों की संख्या एक बिलियन तक पहुंच सकती है।

यदि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं और सभी 17 goals एवं 169 targets को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सभी क्षेत्रों में एक समान जागरुकता लानी होगी और एकजुटता कायम रखनी होगी। SDG में कवर किए गए महत्वपूर्ण विषयों पर सोचकर कई लोगों को हैरानी होती है कि क्या सही में इन targets को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जरुरी यह है कि हम यह याद रखें कि इतने ज्यादा targets होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग गंभीर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें से किसी को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। युद्ध, संघर्ष, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को इस बात से ज्यादा कष्ट पहुंचता है कि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है।

SDGs को पूरा करने की कोशिश में हमारा फोकस केवल targets को पूरा करने पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि पीड़ित व्यक्ति के हालात को फिर से सही करना भी बहुत जरुरी है। जब केवल आंकड़ों पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मूल लोगों की आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों पर सही से ध्यान देने में चूक हो सकती है; जिसके कारण इन goals को प्राप्त करने के लिए जरूरी कारण नजरअंदाज हो सकता है।

सतत विकास के 2030 एजेंडा में इस बात पर जोर दिया गया है कि–

मिलियन लोग पहले से ही इस एजेंडा में शामिल हैं और शामिल होंगे। यह एक ऐसा एजेंडा है जो लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए है – और हमें विश्वास है कि यह इसको सफल बनाएगा।

किन्तु जब तक लोग खुद इन समस्याओं को समझने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक किसी भी goal को प्राप्त करने के लिए एक गति बनाए रखना मुश्किल होगा।

मैप्टिंग ऐप

मैप्टिंग ऐप ("मैपिंग" और "एक्टिंग") ऐसा ऐप है जिसे 10 नवंबर, 2016 को UN हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था जिसे SDGs को पूरा करने में योगदान देने वाली गतिविधियों को ट्रैक करने और मैप करने के लिए बनाया गया है। यह ऐप सोका गकाई इंटरनेशनल (SGI) और अर्थ चार्टर इंटरनेशनल (ECI) ने मिलकर बनाया है जो 15 वर्षों के लिए जागरुकता पैदा करने वाली एग्जीबिशन से जुड़े हैं जो सतत विकास के लिए शिक्षा पर जोर देती हैं।

इस ऐप का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 17 SDGs को पूरा करने की चुनौती में युवा पीढ़ी को शामिल करना है। इस ऐप के जरिए लोग SDGs को प्राप्त करने के लिए किए गए किसी काम, प्रोजेक्ट या आइडिया की फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और उसे वर्ल्ड मैप पर शेयर कर सकते हैं।

यह ऐप शिक्षा के एक साधन और जरिये की तरह काम करता है ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले एक्शन ले सकें और समस्या का समाधान साझा कर सकें, जिससे हमारा फोकस हमारी समस्या के बदले उसके समाधान, उपाय में बदल सके।

www.mapting.org पर इस ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

SDGs में एक goal को हासिल करने के लिए उठाए गए कदम का प्रभाव कई दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है। जैसे, यदि पानी के स्रोत को साफ और सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम उठाया जाता है या इस दिशा में कोई प्रगति की जाती है (Goal 6), तो इससे इंफेक्शन या दूसरी बीमारियों से बीमार होने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी (Goal 3)। इसके कारण उन महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ में भी कमी आएगी, जिन्हें दिन के कई घंटे अपने परिवार के लिए पानी भरने में बिताने पड़ते थे, इस प्रकार उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे (Goal 5), जिसके परिणामस्वरूप गरीबी से छुटकारा पाना संभव हो सकेगा (Goal 1) और वे अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे (Goal 4)।

SDGs से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में विकसित और विकासशील देशों में काफी समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में नवीकरणीय ऊर्जा संरचना को लागू करने के लिए और चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा देने और भोजन की कमी को दूर करने के प्रयासों से बड़ी संख्या में लोगों के लिए काम के नए अवसर खुलेंगे।

Security Council Resolution 2250 ने शान्ति बनाए रखने में युवा पीढ़ी की सहभागिता के महत्व पर जोर दिया। चूंकि युवा पीढ़ी में हर उस क्षेत्र में नई खोज करने, एक क्रांति लाने की ताकत है जहां उन्हें भाग लेने का मौका मिले। इस प्रकार, युवा पीढ़ी के लिए, SDGs का विजन – किसी को पीछे न छोड़ना – किसी दूसरी जगह जाकर प्राप्त किए जाने वाला या सिर्फ भविष्य का एक goal नहीं है। जब आज की युवा पीढ़ी विश्व के हर एक कोने को रोशन करने का मन बना लेती है, ठान लेती है तो एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनता है जिसमें लोगों में फिर से जीने की एक आशा, एक शक्ति आती है। इससे दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो ऐसे ही संघर्षों का सामना कर रहे हैं उनमें साहस पैदा होता है। आज की युवा पीढ़ी वह पीढ़ी है जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साबित होगी।

इसके साथ ही, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लैंगिक समानता और सशक्तिकरण केवल 17 SDGs में से एक है अपितु उसे goals को प्राप्त करने के लिए, उसकी प्रगति व विकास में तेजी लाने वाले महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल एक वैकल्पिक एजेंडा नहीं है: यह अनेकों लोगों के लिए तत्काल प्राथमिकता है। आशा को फिर से जगाने के लिए और मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए भी मदगार है। पिछले वर्ष UN Women ने उन महिलाओं के उदाहरण हाईलाइट किए जो बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी दूसरों के लिए एक्शन लेकर SDGs को पाने के प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक तंजानिया के गांव की सोलर इंजीनियर हैं जिन्होंने अपने कौशल के जरिए गांव के लोगों की सहायता की। शुरूआत में केवल कुछ ही पुरूषों ने उन्हें इंजीनियर के रूप में सराहा, लेकिन जब उन्होंने सोलर उपकरणों के जरिए उनके घरों को रोशन किया तो उन्हें अनेकों पुरूषों ने सम्मानित किया।

पहले सूर्यास्त के बाद हमारा गांव अंधेरे में रहता था, लेकिन अब वहां रोशनी है। हाल ही में सोलर लैम्प लेने के लिए दो बच्चे आए। उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। आज रात वे अपना होमवर्क कर पाएंगें।

इस प्रकार, एक महिला के सशक्तिकरण से न केवल तंजानिया के गांव के लोगों को ऊर्जा, रोशनी प्राप्त हुई बल्कि महिलाओं के प्रति लोगों के रवैये में स्पष्ट बदलाव देखा गया, और बच्चों को पढ़ाई का बेहतर अवसर प्राप्त हुआ।

समस्याओं को सुलझाने की क्षमता केवल कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित नहीं है; यह एक ऐसा रास्ता है जो सच्चाई का सामना करते समय हम सबके सामने होता है।

हालांकि SDGs को पाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ये हमारे विश्व को बदलने की आशा से जुड़े हैं। जब युवा पीढ़ी की बढ़ती संख्या उस आशा को पूरा करना अपना लक्ष्य बना लेगी और उसके अनुसार एक्शन लेगी, तब इन goals को पाने के प्रयासों में बहुत तेजी आएगी। यह याद रखना जरूरी है कि ये सभी समस्याएं मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं इसलिए मनुष्यों के प्रयासों से ही इसका समाधान किया जा सकता है और विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी में एक ऐसी ताकत है जो लोगों के बीच विश्वास कायम करके एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

काव्य सुधा

हाय! हाय! हाय! हाय! औरत की ज़िन्दगी!

श्री नत्थू अग्रवाल
पिता, नितिन अग्रवाल, उप प्रबंधक

सामाने-ऐश रह गयी, औरत की ज़िन्दगी
खान-खराब रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
नज़रे-हिक़ारत रह गयी, औरत की ज़िन्दगी
किसके सहारे रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
दिन कट गया, बत्न की खुशामदात में
रिन्दों की शाम रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
बाहर से एक मयक़दा, चलता हुआ दिखा
भीतर धुआँ-धुआँ रही, औरत की ज़िन्दगी।
आँखें नज़ारा देखतीं, सुन भी रहे थे गोश
बस्त-दहन यूँ रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
कभी मर्द की ख़िदमत, कभी औलाद की मिन्नत
बनकर ज़रूरत रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
जिसने भी चाहा जैसा, वैसा ही रंग लिया
इक दीवार फक़त रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
हुस्न-ओ-जमाल, नाज़-ओ-अदा, सरमाया ही तो था
एक बाज़ार बनकर रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
घर की रौह-ओ-रौशनी, मर्दों की बज़्म में
जलती शमा इक रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
पल-पल तपती, पल-पल गलती, मरती ही वो रही
क़ुदरत की अमा रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
अब्बा के घर की रौनक़, अम्मी का वो गुमान
शौहर की ख़िदमत रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
दीवार-ओ-छत के ख़ानों को, ज़न्नत बना-बना
लज़्ज़त ज़ुबां की रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
सदक़े-रहिम के गुहर अपने, सदक़े में दे दिए
महरूमे-रहमत रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
ख़त्म चुटकियों में तीन, उसका खेल कर दिया
दर-दर की ठोकर रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
अक़्दे-अव्वल, अक़्दे-सानी, अक़्दे-सालिस, अक़्दे-रवाँ
बनके तवायफ़ रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।
हुस्ना को हलील कर, हलाल बना दिया
कोठे बदलती रह गयी, औरत की ज़िन्दगी।

थोड़ा सच्चा करते हैं

सुभाष
क्षेत्रीय प्रबंधक

सोचो जरा,
धरा आसमान में,
आसमान धरा पे, फिर
जीवन, हो, कहाँ पे।
भांति भांति के जमाते,
मौंजू ये मजमे,
लगा के सब है, बैठे।
कहते है, फिरते,
मेरी ही गीते, है पूरी सच्ची,
बाकि सभी की गाथा, है पूरी कच्ची।
फितरत में अपनी,
कच्चे धागो की लड़ियां गुंथी है,
ये कैसी।
मजमे के हुल्लड़ में,
तुम लगे क्यों हो भैया।
इंसानों की बस्ती में,
मरघट की जमघट बसाने को, आतुर क्यों हो भैया।
सोचो जरा तुम,
दो गज में सिमटकर,
जब है मिट्टी में मिलना।
ये टीन कनस्तर के औजारों की,
थर्राहट क्यों, है करना।
चलो चलते है, कुछ अच्छा करते है,
थोड़ा सच्चा करते है।
जमीं आसमान की बाते छोड़,
प्यार मुहब्बत की, बयां इस जुबाँ से करते है।

काव्य सुधा

बहुत हो गया अब जाग जाएं

पंकज चड्डा
क्षेत्रीय प्रबंधक

हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब .....,
हम होंगे कामयाब ..... एक दिन
इस बात को चाहे जितनी बार गाएं और बार–बार गाते ही जाएं
कामयाबी नहीं मेहनत बिन, इतनी सी बात क्यों समझ ना आए
चापलूसी से कुछ हाथ ना आए, ख्याली पुलाव चाहे जितने पकाएं
मेहनत से तू क्यों कतराए, मेहनत से तू क्यों कतराए,
बिन मेहनत कुछ हाथ ना आए, बाद में फिर पछताए,
बहुत हो गया अब जाग जाएं, बहुत हो गया अब जाग जाएं

होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर .....,
होगी शांति चारों ओर ..... एक दिन
इस बात को चाहे जितनी बार चिल्लाएं
और बार–बार चिल्लाते ही जाएं
शांति नहीं अहिंसा बिन, गांधी जी के वचनों को क्यों ना अपनाएं
अपने दोष न देखे दूसरे के गिने, द्वेष की आग में जलते जाएं
जात धर्म से ऊपर उठ जाएं, जात धर्म से ऊपर उठ जाएं,
नहीं रखा कुछ जात धर्म में, अब आंखों बंधी पट्टी हटाएं
बहुत हो गया अब जाग जाएं, बहुत हो गया अब जाग जाएं

हम चलेंगे साथ–साथ, हम चलेंगे साथ–साथ .....,
हम चलेंगे साथ–साथ ..... एक दिन
इस बात को चाहे जितनी बार दोहराएं
और बार–बार दोहराते ही जाएं
अखंडता नहीं एकता बिन, चाहे जितना शोर मचाएं
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस बात को क्यों झुठलाएं
एक दूजे के कंधे से कंधा मिलाएं, एक दूजे के कंधे से कंधा मिलाएं
नहीं रखा कुछ अकेले चलने में, मिलजुलकर आगे बढ़ते जाएं
बहुत हो गया अब जाग जाएं, बहुत हो गया अब जाग जाएं

भ्रष्टाचार एवं लालच बुरी बला है, बचपन से ही सुनते आए
फिर भी जहां अवसर लूटने का मिले, मुंह में पानी झट भर आए
चाहे कोई कितना समझाए, भैंस के आगे बीन बजाए
एक कान से सुन और दूसरे से निकाले,
आदत से हम अपनी बाज न आएं
बहुत हो गया अब जाग जाएं, बहुत हो गया अब जाग जाएं

इससे पहले बहुत देर हो जाए, हाथ आया अवसर खो जाए
अंतःकरण में झांककर अपने, सच्चाई की राह अपनाएं
दूसरों पर अंगुली करने से पहले, अपना सोया ईमान जगाएं
बहुत हो गया अब जाग जाएं, बहुत हो गया अब जाग जाएं
बहुत हो गया अब तो जाग जाएं, बहुत हो गया अब तो जाग जाएं

जिंदगी

श्रीमती ममता
पत्नी, श्री विजय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक

कभी जवाब तो कभी सवाल है जिंदगी
कभी शांत तो कभी बवाल है जिंदगी
कभी लगती पहेली कभी सहेली
कभी महफिल तो कभी अकेली
कभी अलमस्त कभी मदमस्त
हर पल जबर्दस्त जिंदगी
मुश्किलों को पछाड़ती जिंदगी
पथरीली डगर तराशती जिंदगी
नींद में मीठे सपने दिखाती जिंदगी
कभी हंसाती तो कभी रूलाती जिंदगी
होठों पर मुस्कराहट सजाती जिंदगी
कभी रूकना नहीं कभी थकना नहीं
अनवरत चलना सिखाती जिंदगी
हर फिक्र को धुएं में उड़ाती जिंदगी
गिरने पर हाथ पकड़ कर उठाती जिंदगी
हर पल नया सबक सिखाती जिंदगी
नई उम्मीद के साथ मुस्कराती जिंदगी।

बैंक द्वारा ''आवास वित्त में अभिमुखीकरण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियाँ

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

आवास भारती

वर्ष 16, अंक 62, जनवरी–मार्च, 2017

वर्ष 17, अंक 63, अप्रैल–जून, 2017

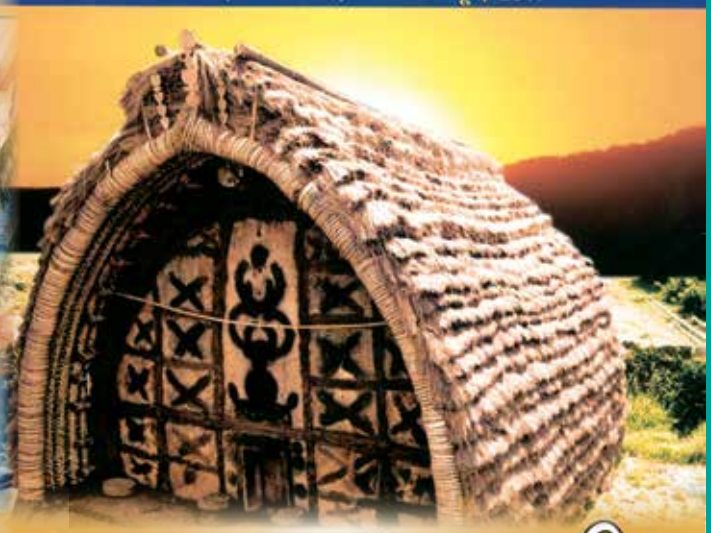

आवास भारती आवास भारती

वर्ष 17 | अंक 64 | जुलाई-सितम्बर, 2017

वर्ष 17 | अंक 66 | जनवरी-मार्च, 2018

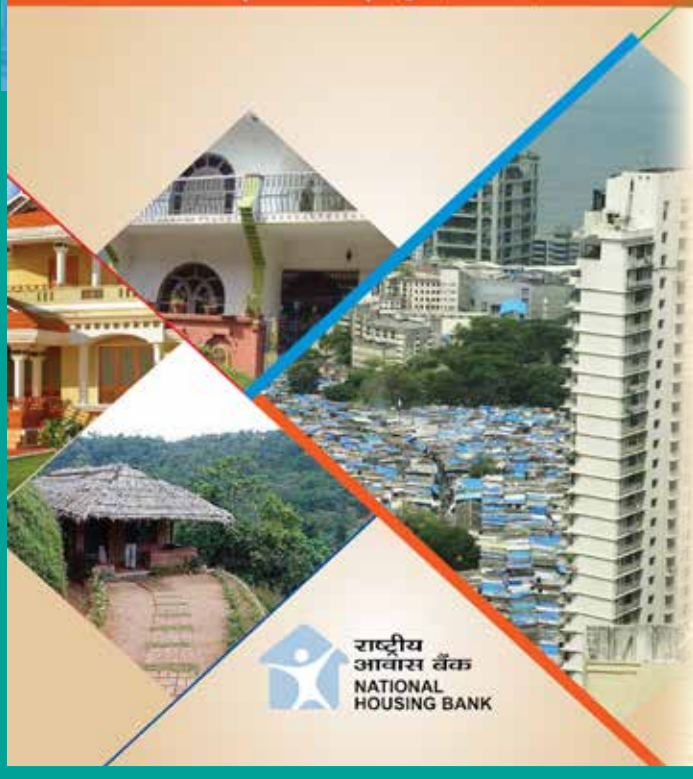

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: रैक्मो प्रेस प्रा. लि., नई दिल्ली–110020

राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
वेबसाइट: **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल